# लोक-सभा वाद-विवाद
## का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
## 3rd
# LOK SABHA DEBATES

[ पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session ]

Preservation Unit
18-6-9
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

( खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32 )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

*Price: One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

**अंक 30, सोमवार, 5 सितम्बर, 1966/14 भाद्र, 1888 (शक)**

*No. 30, Monday, September 5, 1966/Bhadra 14, 1888 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| निधन संबंधी उल्लेख | Obituary Reference .. | 1—2 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| अ० सू० प्र० संख्या | | |
| S. N. Q. Nos. | | |
| 27. रेल के जाली टिकटों की बिक्री | Sale of Forged Railway Tickets .. | 3—6 |
| 28. रबड़ के मूल्य | Prices of Rubber .. | 6—10 |
| 29. संसद् सदस्यों पर प्रतिबन्ध | Restrictions on Members of Parliament .. | 10—20 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— | |
| रेल द्वारा खाद्यानों को ले जाते समय क्षति हो जाने के समाचार | Reported Damage to foodgrains while in rail transit .. | 20—21 |
| श्री रंगा | Shri Ranga | 20—21 |
| डा० राम सुभग सिंह | Dr. Ram Subhag Singh .. | 21 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न | Re. Calling attention notice (Query) .. | 21—22 |
| विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में | Re. Question of Privilege .. | 22—23 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. | 23—24 |
| सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश | Committee on Government Assurances Minutes .. | 24—27 |
| राज्य सभा से सन्देश | Messages from Rajya Sabha .. | 27—28 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका | Petition Re. Constitution (Amendment) Bill .. | 28 |
| लोक-लेखा समिति— | Public Accounts Committee— | |
| सतावनवां प्रतिवेदन | Fifty-Seventh Report .. | 28 |
| प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली के भविष्य के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Future of Managing Agency System .. | 28 |
| श्री गोपाल स्वरूप पाठक | Shri G. S. Pathak .. | 28 |
| सान्ताक्रुज के निकट इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के कैरेवल विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Accident to IAC Caraville near Santa Cruz .. | 28 |
| श्री चे० मु० पुनाचा | Shri C. M. Poonacha | 28, 29, 30, 31 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to S. Q. No. 361 | 31 |
| सदस्य द्वारा निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत वक्तव्य के बारे में तथा दास आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर में शुद्धि | Re. Statement by Member Under Direction 115 and correction of Answers to S. Q. No. 634 Re. Das Commission Report | 31—32 |
| संसद् कार्य मंत्री के भाषण के बारे में सदस्य द्वारा नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण | Personal Explanation by Member under Rule 357 Re. reference to speech of the Minister of Parliamentary Affairs .. | 32 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | 32 |
| श्री सत्य नारायण सिंह | Shri Satya Narayan Sinha .. | 32 |
| सदस्यों का निरोध— | Detention of Members— | |
| (श्री दशरथ देब तथा श्री बीरेन दत्त) | (Shri Dasaratha Deb and Shri Biren Dutta) .. | 32—35 |
| दिल्ली पंचायत समितियां तथा न्याय पंचायतें विधेयक-पुरःस्थापित | Delhi Panchayat Samitis and Nyaya Panchayats Bill-Introduced .. | 35 |
| रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) विधेयक— | Railway Property (Unlawful Possession) Bill— | |
| राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha .. | 35—51 |
| श्री राने | Shri Rane .. | 35—36 |

| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey | .. | 36 |
| श्री विश्वनाथ पाण्डेय | Shri Vishwa Nath Pandey | .. | 36—37 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa | | 37 |
| श्री हिम्मतसिंहका | Shri Himatsingka | | 37 |
| श्री राम सेवक यादव | Shri Ram Sewak Yadav | .. | 38 |
| श्री मुथिया | Shri Muthiah | | 38—39 |
| श्री प्रिय गुप्त | Shri Priya Gupta | .. | 39—40 |
| श्री सिंहासन सिंह | Shri Singhasan Singh | | 40—41 |
| श्री उ० मू० त्रिवेदी | Shri U. M. Trivedi | | 41 |
| श्री स०का० पाटिल | Shri S. K. Patil | | 41—43 |
| खण्ड 2 से 8 | Clauses 2 to 8 | .. | 44—51 |
| केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतों के बारे में आधे घंटे की चर्चा | Half-an-hour Discussion Re. Grievances of C. H. S. Doctors | .. | 51—56 |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma | .. | 51—52 |
| डा० सुशीला नायर | Dr. Sushila Nair | .. | 54—55 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**सोमवार, 5 सितम्बर, 1966/14 भाद्र, 1888 (शक)**
*Monday, September 5, 1966/Bhadra 14, 1888 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख
## OBITUARY REFERENCE

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को यह शोक समाचार सुनाना है कि 4 सितम्बर, 1966 को नई दिल्ली में श्री मुरली मनोहर का 71 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया।

श्री मुरली मनोहर उत्तर प्रदेश के बलिया निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह 1952 से 1957 तक भी इस सभा के सदस्य रहे थे।

हम उनकी मृत्यु से अत्यन्त शोक सन्तप्त हैं और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में यह सभा मेरे साथ है।

**सभा के नेता (श्री सत्यनारायण सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, इस सभा के सदस्य श्री मुरली-मनोहर के अचानक निधन का समाचार सुनकर मुझे तथा इस सभा के सदस्यों को अत्यन्त दु:ख हुआ है। श्री मुरली मनोहर उन व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने आरंभ से ही स्वतंत्रता संग्राम में कार्य किया। वह स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार 1921 में जेल गये थे। उन्होंने सभी स्वतंत्रता आन्दोलनों में भाग लिया और सहर्ष कष्ट सहे। वह बलिया निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के सदस्य थे। साधारणतः बलिया को शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में माना जाता है। फिर भी 1942-43 में उस जिले में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भावना जागृत हो गई थी। इसका श्रेय मुरली मनोहर और अन्य देश-भक्तों द्वारा किये गये ठोस कार्य को है। श्री मुरली मनोहर अपने क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रचनात्मक कार्यों तथा अन्य सुधार कार्यों के लिये सदा याद रहेंगे। मैं स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रमुख सेनानी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रातःकाल श्री मुरली मनोहर के निधन का शोक समाचार सुनकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। वह 71 वर्ष की आयु वाले विनम्र व्यक्ति थे। यद्यपि उन्होंने कभी सभा में अपने आपको प्रदर्शित नहीं किया किन्तु उनके रचनात्मक कार्य सदैव याद रहेंगे। वह अपने शोक संतप्त परिवार को छोड़ गये हैं। मैं तथा मेरा दल सभा के नेता श्री सत्यनारायण के साथ उनके शोक संतप्त परिवार के साथ वेदना प्रकट करते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारी समवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाई जाये।

**Shri Sarjoo Pandey** (Rasra) : Shri Murli Manohar was not only a freedom fighter but also a very successful of Eastern U. P. He was also well-known social worker and was associated with many educational institutions. Even though he was a member of the Congress party he maintained contact with the members of opposition. I express my heartfelt condolence to bereaved family.

**Shri Raghunath Singh** (Varanasi) : Shri Murli Manohar was a Graduate of Venaras University. Later he was appointed Government Pleader but he gave up this job when Mahatma Gandhi started Satyagraha. He was imprisoned in 1921, 1930, 1932, 1939 and 1942. On several occasions he was in jail with me. He was successful criminal lawyer and whatever he earned out of his practice, he donated it for the advancement of education. I pay my tributes to the departed soul.

**Shri Priya Gupta** (Katihar) : Mr. Speaker, on behalf of the Praja Socialist I pay tributes to Shri Murli Manohar and express condolence to his bereaved family. He was personally known to me. He was a prominent leader of Ballia. He had a great contribution in the social activities. He ran several educational institutions. He was a man of open heart.

**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं अपने सहयोगियों के साथ दिवंगात्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह एक देश भक्त थे। यद्यपि वह इस सभा के सक्रिय सदस्य रहे, वह एक प्रमुख वकील थे। हमें उनके अचानक निधन पर अत्यन्त दुख है।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : Mr. Speaker, Mr. Murli Manohar was a patriot and a social worker. He will be remembered for his social services. I join others in mourning the death of Shri Murli Manohar and offer my condolence to the bereaved family.

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं अन्य सदस्यों के साथ दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह इस सभा के पुराने सदस्यों में से थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय कार्य किया।

**अध्यक्ष महोदय** : शोक प्रकट करने के लिये सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हो जायें।

**इसके बाद सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।**

**The Members then stood in silence for a short while**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### अल्प सूचना प्रश्न
### SHORT NOTICE QUESTION

### रेल के जाली टिकटों की बिक्री

+

**अ० सू० प्र० 27. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री तुला राम :**
**श्री राम हरख यादव : श्री बसवन्त :**
**श्री बृजवासी लाल : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की सतर्कता सैल ने देश के विभिन्न भागों में रेल के जाली टिकट बेचने वाले एक गिरोह का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) यह सच है कि देश में विभिन्न स्थानों के लिए रेल के जाली टिकट बेचने के संदेह में कलकत्ता में एक गिरोह का पता लगा है। इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही रेलवे बोर्ड के सतर्कता एकक की सहायता से कलकत्ता पुलिस के गुप्तचर विभाग ने की थी ;

(ख) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** Is it a fact that a rich person of Calcutta finances this gang and this gang has been operating for the last two years ? May I also know the name of the person who is financing this gang ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** On the basis of suspicion the name of the financer, who is said to be the ringleader, is Raman Kumar Maiti. The final report will be received only after the completion of Police inquiry. He has been arrested with his nine accomplices.

**Shri Vishwa Nath Pandey :** May I know whether the investigations of the cell have found out the printing presses in which these tickets are printed ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** One of the presses is in New Bengal Printing Works which is a private press. That press was raided. One printing machine, one automatic enumerating machine, some other materials block etc. and rock proofs were recovered.

**Shri Ram Harakh Yadav :** Is it a fact that the sale of forged railway ticket was going on since long and several criminal cases were filed under the Railway Act and Criminal Procedure Code. May I know when it has come to the notice of the Government and what steps are being taken by the Government in this regard ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** It is true that such cases have been detected from time to time and I may give separate detail about them. In the present case ten persons have been arrested and the matter is being investigated in detail.

**श्री बृज बासी लाल :** क्या कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी इस गिरोह से सम्बन्ध है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां । ईस्टर्न रेलवे प्रिंटिंग वर्क्स, हावड़ा के पैकर और खलासी इसमें शामिल हैं । इन दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है ।

**Shri Prakash Vir Shastri:** A such gang was also unearthed in Moradabad some time ago and the Railway Minister told us that a press was also detected and some persons were arrested. May I know the punishment given to the gang unearthed in Moradabad and whether it has been ascertained that such activities have ceased to operate in Moradabad?

**Dr. Ram Subhag Singh:** I will give the information later on about the punishment given to them. We have been taking steps from time to time to check these activities.

**Shri K. N. Tiwary:** In which Railways such cases of sale of forged tickets have been detected and how much loss has so far been sustained as a result of it?

**Dr. Ram Subhag Singh:** One such case was detected in Bombay on the Central Railway and 800 tickets were recovered. Some of them were in finished forms and some in unfinished and others were blank. These tickets were for from Howrah to Ludhiana, Amritsar and Rohtak. The loss to the Railway could have been assessed if these tickets would have been sold.

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे प्रशासन, विशेषरूप से जो हावड़ा स्टेशन से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में उसको की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद कलकत्ता के कई दैनिक समाचार-पत्रों में खुले पत्र प्रकाशित करा कर सतर्कता एकक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, जहां तक हावड़ा रेलवे स्टेशन प्रशासन का सम्बन्ध है, उसने आरम्भ में इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की ।

**डा० राम सुभग सिंह :** इस ओर ध्यान न दिये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । क्योंकि सतर्कता एकक इस मामले का पता लगने से पहले से ही काफी कारगर ढंग से कार्य कर रहा था । इस मामले से पहले ही हावड़ा में टिकटों की अवैध बिक्री से सम्बन्धित अनेक अनियमितताओं का पता लगा था । सतर्कता एकक सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का, जिसमें रेलवे के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, पता लगाने का प्रयत्न कर रहा था । सतर्कता एकक बड़ी सावधानी से कार्य कर रहा है और सारे देश में अपनी कार्यवाहियों का विस्तार कर रहा है ।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मैं यह जानना चाहता था कि हावड़ा जो देश का बहुत बड़ा टर्मिनल स्टेशन है, उसका प्रशासन इतना निष्क्रिय बन गया है कि सतर्कता आयोग को वहां जाकर अनियमितताओं का पता लगाना पड़ा । क्या यह सच है कि स्टेशन प्रशासन ने इस मामले में प्रायः कुछ नहीं किया ?

**डा० राम सुभग सिंह :** स्टेशन कर्मचारी किसी व्यक्ति को किसी के घर से बिना किसी आधार के नहीं पकड़ सकते हैं ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या रेलवे बोर्ड का सतर्कता एकक बम्बई, मद्रास तथा अन्य टर्मिनल स्टेशनों पर भी इसके मामलों का पता लगा रहा है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** बम्बई के बारे में मैं बता चुका हूं। यह सभी रेलवे में कार्य कर रहा है, किन्तु पता लग जाने पर ही उनके बारे में बताया जायेगा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि यह गिरोह, जिसने देश में अपनी गतिविधियों का जाल बिछा रखा है, ये टिकट उन आउट एजेन्सियों को देते हैं जिन्हें सरकार द्वारा ठेका दिया जाता है और ये एजेन्सियां इन टिकटों को उन ग्रामीणों को बेचती हैं जिन्हें असली और जाली टिकट का अन्तर मालूम नहीं है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** इस सम्बन्ध में थोड़ा सन्देह है क्योंकि हो सकता है आउट एजेन्सियां इसमें शामिल हों। सतर्कता एकक तथा कलकत्ता का गुप्तचर विभाग सारे मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट मिलने पर हम कार्यवाही करेंगे।

**Shri Bhagwat Jha Azad :** Are these gangs operating as an independent individual unit or it is an all India conspiracy.

**Dr. Ram Subhag Singh :** They operate throughout the country. Some persons were arrested in Patna and others were arrested in Shrirampur, there 11 tickets were sold to 11 brick workers. Some persons were also arrested in Bombay. It means this gang is having its network throughout the country.

**Shri Bade :** May I know whether such cases have also been detected in Central, Western or Southern Railways or in Bihar ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** I have already answered the question.

**श्रीमती सावित्री निगम :** समय-समय पर रेलवे को इन गिरोहों की गतिविधियों का सुराग मिलता रहा है। मुरादाबाद तथा अन्य स्थानों पर पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यह बात कहां तक सच है कि अधिकारियों की उपेक्षा के कारण ये गिरोह पनप रहे हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में इन मामलों के पकड़े जाने पर सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट तथा अन्य बड़े मजिस्ट्रेट इनके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं। श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि मैं बाद में सभापटल पर जानकारी रख दूंगा। रेलवे को इन मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। सारे मामले न्यायालय को सौंप दिये जाते हैं और न्यायालय ही उनके बारे में निर्णय करता है।

**श्री दी० चं० शर्मा :** चाहे मंत्री महोदय कुछ भी कहें, यह अखिल भारतीय स्तर पर षड्यंत्र है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों की सुनवाई षडयंत्र के मुकदमें के रूप में की जाती है अथवा साधारण मुकदमें के रूप में जिससे उनमें बहुत से लोग कानून की पकड़ से निकल जाते हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह :** इसको साधारण मुकदमों की सुनवाई से अधिक महत्व दिया जाता है।

**Shri Sarjoo Pandey**: May I know whether the number of forged ticket sellers has been ascertained and whether Rail employees are also involved in it ?

**Dr. Ram Subhag Singh**: I have already stated that two railway employees were arrested and one booking clerk has also been arrested in Patna. It shows that railway employees have also hand in it.

**Shri Ram Sewak Yadav**: May I know whether some used forged tickets were also recovered and whether the cause of this corruption is slackness in Railway Administration and the steps being taken to stop this corruption prevalent in the Railways ?

**Dr. Ram Subhag Singh**: I think the Hon. Member is levelling this charge against the Railway Administration, perhaps on the basis of personal experience. Those 11 persons arrested at Shrirampur were caught while entering the compartment ; it clearly shows that it was not ineffectiveness of the Railway Administration.

**श्री त्यागी** : इस षड्यन्त्र की कार्य-प्रणाली क्या थी ? क्या ये टिकट टिकटघर से नियमित ढंग से बेचे गये थे अथवा कहीं और अनधिकृत रूप से बेचे गये थे ? क्या टिकटघर का कोई रेलवे क्लर्क अथवा कोई अन्य कर्मचारी उनसे मिला हुआ था अथवा ये टिकट स्वतंत्र रूप से बेचे गये थे ?

**डा० राम सुभग सिंह** : जहां तक रिपोर्ट मिली है, पटना में ये टिकटघर से बेचे गये लेकिन फिर भी मामले की जांच की जा रही है।

रामपुर में ये टिकटघर से नहीं बेचे गये थे बल्कि टिकटघर से बाहर उन मजदूरों को दिये गये थे ?

हो सकता है कि शायद बम्बई में, जैसा श्री बनर्जी ने कहा, आउट-एजेन्सी का हाथ रहा हो ।

**श्री त्यागी** : एक छोटी-सी बात है । जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, वे जाली टिकटों से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे अथवा जिनका इन टिकटों को बेचने के षड्यन्त्र में हाथ था ।

**डा० राम सुभग सिंह** : वे तो निर्दोष यात्री थे । असली अपराधी भी पकड़े गये हैं; जिनमें क्लर्क तथा कुछ अन्य लोग हैं ।

## रबड़ के मूल्य

+

**अ०सू०प्र० 28 श्री बूटा सिंह :** **श्री गुलशन :**
**श्री प्र० के० देव :** **श्री प्र० कु० घोष :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक रबड़ के प्रति टन न्यूनतम सांविधिक मूल्य क्या हैं, और रबड़ बागानों के मालिक उपभोक्ताओं से वास्तव में क्या मूल्य लेते हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं से वास्तव में लिये जा रहे मूल्य न्यूनतम सांविधिक मूल्यों से अधिक हैं, और यदि हां, तो अत्यधिक मूल्य लिए जाने का रबड़ उद्योग पर तथा देश में क्या प्रभाव पड़ रहा है एवं क्या हमारे निर्यात पर इसका किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकार ने बागानों के मालिकों द्वारा इस प्रकार अत्यधिक मूल्य लिया जाना बन्द करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी)** : (क) से (ग) . एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

---

**विवरण**

(क) और (ख). प्राकृतिक रबड़ की कीमतों पर लगे सांविधिक नियन्त्रण को 16-12-1963 से खत्म कर दिया गया था । किन्तु वर्ग 1 के रबड़ की न्यूनतम कीमत 3,230 रु० प्रति मी० टन रहने दी गई थी । कोट्टायम में वर्तमान बाजारी कीमत लगभग 6,500 रु० प्रति मी० टन है । अनुमान है कि प्राकृतिक रबड़ की कीमत में प्रति मी० टन 100 रु० की वृद्धि हो जाने से टायरों की लागत लगभग 0·5 प्रतिशत बढ़ जायगी । अन्य वस्तुओं की कीमतों पर, इसी प्रकार से विभिन्न अंशों में प्रभाव पड़ेगा जो कि उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रबड़ के अनुपात पर निर्भर करेगा ।

कच्चे रबड़ की कीमतों में हुई वृद्धि का निर्यात पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । रबड़ की वस्तुओं के निर्यात का कुल मूल्य 1964-65 के 1·68 करोड़ रु० और 1963-64 के 90 लाख रु० से बढ़कर 1965-66 में 2·19 करोड़ रु० हो गया ।

(ग) (1)अप्रैल 1965—मार्च 1966 की लाइसेंसिंग अवधि में 12,700 मी० टन रबड़ का कुल आयात करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ।

(2) 1966-67 के पहले छः महीनों में 7,500 मी० टन प्राकृतिक रबड़ का शीघ्र ही आयात करने और वर्ष के उत्तरार्ध में उतने ही परिमाण में उसका आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ।

(3) रबड़ के टायरों के निर्माता उद्योग को, जो कि देश में उपभोग किये जाने वाले कुल रबड़ के लगभग दो-तिहाई भाग का उपभोग करता है, प्राथमिकतापूर्ण उद्योगों में शामिल कर लिया गया है जो कि अवमूल्यन के पश्चात् ही घोषित की गयी उदारीकृत आयात नीति से प्राप्त होने वाले लाभ के हकदार हैं ।

उक्त उपायों से देशी रबड़ की कीमतें उचित स्तरों पर घट जायेंगी ।

---

**श्री बूटा सिंह** : इस देश में रबड़ के उत्पादन और खपत में कितना अन्तर है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : 17,000 टन ।

**श्री बूटा सिंह** : इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री मनुभाई शाह** : अगले तीन महीनों में 10,000 टन आयात होने की आशा है और 15,000 टन के लिये एक और लाइसेंस दिया जा रहा है।

**श्री बूटा सिंह** : देश के उत्पादकों को क्या विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

**श्री शफी कुरेशी** : 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्रोपण के लिये राज-सहायता दी जायेगी। अपना रकबा बढ़ाने के लिये छोटे उत्पादकों को 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से ऋण दिये जायेंगे। छोटे उत्पादकों को 475 रुपये प्रति एकड़ की दर से साधारण ऋण दिये जाते हैं। रबड़ बोर्ड केरल सरकार द्वारा स्थापित किये गये केरल बागान निगम को तकनीकी सहायता दे रहा है। रबड़ की प्रादेशिक नर्सरी हैं जो नये उत्पादकों की सहायता करेंगी। रबड़ बोर्ड के कहने पर कृषि पुनर्वित्त निगम रबड़ के नये बागान लगाने के लिये अनुसूचित बैंकों के जरिये बागानों (एस्टेट) को 2,100 रुपये की दर से और व्यक्तियों को 1,600 रुपये की दर से ऋण देने को सहमत हो गया है। रबड़ आयोग रबड़ की खेती के लिये नये क्षेत्रों के उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। चौथी योजना में 85,000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में रबड़ की खेती होने लगेगी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण देखने से पता चलता है कि रबड़ का न्यूनतम मूल्य 3,230 रुपये प्रति टन है जबकि वास्तविक बाजार भाव 6,500 रुपये प्रति टन है। इन दोनों में इतने अधिक अन्तर को देखते हुए इस दिखावटी न्यूनतम मूल्य को जिसका बाजार की वास्तविक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है, रखने का क्या व्यावहारिक अथवा वास्तविक महत्व है ?

**श्री मनुभाई शाह** : यह तो आधार मूल्य के रूप में उत्पादकों को संरक्षण है। प्राकृतिक रबड़ के लिये कोई सीमा मूल्य नहीं है। लेकिन आयात अथवा स्थानीय मांग और स्थानीय पूर्ति के बीच अन्तर मूल्य को स्थिर रख रहा है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : न्यूनतम मूल्य।

**श्री मनुभाई शाह** : न्यूनतम मूल्य यह सुनिश्चित करने के लिये है कि रबड़ उत्पादक को कभी भी उससे कम मूल्य न मिले।

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : रबड़ का सांविधिक मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया था और निर्माताओं को उनके विनियोजन पर कितने प्रतिशत लाभ मिल जाता है ?

**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादक हैं और दूसरे रबड़ उत्पाद निर्माता हैं। रबड़ उत्पादकों को 10 से 12 प्रतिशत तक लाभ मिलना चाहिए और इतना ही निर्माता को।

**श्री कंडप्पन :** क्या अन्दमान में रबड़ बागानों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि में रबड़ बागान लगाये जायेंगे ?

**श्री शफी कुरेशी :** पुनर्वास विभाग अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रबड़ बागान के लिये एक परियोजना को अन्तिम रूप दे रहा है, जिससे लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और लगभग 6,000 एकड़ भूमि में खेती होगी ।

**श्रीमती रेणुका राय :** विवरण से मालूम होता है कि सरकार रबड़ के ऊँचे मूल्यों को कम करने का जो एकमात्र संभव उपाय समझ रही है, वह आयात में छूट देना है । अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए आयात किये जाने वाले रबड़ का मूल्य क्या होगा और अवमूल्यन के कारण कितना अधिक होगा तथा क्या उससे देशी रबड़ के मूल्य को कम करने में समुचित प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री मनुभाई शाह :** भारतीय बन्दरगाहों पर पहुँचने पर आयातित रबड़ का मूल्य 4,500 रुपये प्रति टन होगा । इसलिए हम विश्वास करते हैं, यहां पहुँचने पर आयातित रबड़ के मूल्य तथा स्थानीय मूल्य में जो अन्तर रहता है उसके आधार पर स्थानीय मूल्य को कम किया जा सकता है ।

**श्री पं० वेंकटासुब्बय्या :** कुछ चुने हुए स्थानों के अतिरिक्त जहां रबड़ पैदा किया जाता है, क्या सरकार देश के अन्य भागों में रबड़ पैदा करने की शक्यता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने के बारे में सोच रही है ताकि हमें आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च न करनी पड़े ?

**श्री शफी कुरेशी :** चौथी योजना में 85,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में, जैसा नीचे दिखाया गया है, रबड़ की खेती करने के प्रस्ताव हैं :

| | |
|---|---|
| केरल | 50,000 एकड़ |
| मैसूर | 10,000 एकड़ |
| मद्रास | 5,000 एकड़ |
| आसाम और त्रिपुरा | 5,000 एकड़ |
| अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह | 15,000 एकड़ |

**श्री रंगा :** आन्ध्र प्रदेश के बारे में क्या प्रस्ताव हैं ? अराक्कू घाटी के बारे में क्या प्रस्ताव हैं ?

**श्री शफी कुरेशी :** यदि भूमि उपलब्ध हुई, और राज्य सरकार ने हमें दी, तो हम इस पर विचार करेंगे ।

**श्री वासुदेवन नायर :** रबड़ पैदा करने वाले राज्यों में, जैसे केरल, बहुत से लोगों ने रबड़ की खेती आरम्भ कर दी है क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उन्हें वास्तव में लाभ होगा और

उन्हें उचित मूल्य मिलेगा । क्या सरकारी क्षेत्रों में यह सोचा जा रहा है कि सरकार को मूल्य कम करने चाहिए और प्राकृतिक रबड़ का मूल्य कम होना चाहिए और इसके लिये बड़े पैमाने पर आयात आवश्यक है, और यदि हां, तो क्या सरकार देश के उत्पादकों को उचित मूल्य दिलायेगी ?

**श्री मनुभाई शाह :** पहले पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था । आधार मूल्य उत्पादकों के संरक्षण देने के लिये ही है । माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यदि मूल्य इतना अधिक हो, जैसाकि अब है, तो हमें मूल्य को कम करके उचित स्तर पर लाना चाहिए ।

**श्री मणियंगाडन :** जिस समय तक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था, तब से अब तक उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है और अधिकांश उत्पादकों के पास केवल कुछ एकड़ भूमि ही है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार न्यूनतम मूल्य को बढ़ायेगी ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके ?

**श्री मनुभाई शाह :** पिछले अनेक वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है । मैं देश के प्राकृतिक उत्पादकों को बधाई देता हूँ कि तीन वर्षों में उत्पादन 37,000 टन से बढ़कर 50,000 टन हो गया है ।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री मधु लिमये । अगला प्रश्न ।

**Shri Sidheshwar Prasad:** If opinion is asked, how that question can be accepted.

**Mr. Speaker :** I have asked facts and not opinion.

## संसद सदस्यों पर प्रतिबन्ध

+

**अ० सू० प्र० 29. श्री मधु लिमये :**

| | |
|---|---|
| श्री मधु लिमये : | श्री कण्डप्पन : |
| श्री स०मो० बनर्जी | श्री इन्द्रजीत गुप्त : |
| श्री अ०क० गोपालन | श्री नरसिम्हा रेड्डी : |
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : | श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : |
| श्री उमा नाथ : | डा० रानेन सेन : |
| श्री मुहम्मद कोया : | श्री कोल्ला वेंकैया : |
| श्री मौर्य : | श्री राम सेवक यादव : |
| श्री सरजू पाण्डेय : | श्री इम्बीचिबावा : |
| श्री दाजी : | श्री जं० बा० सिंह : |
| श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : | श्रीमती बिमला देवी : |
| श्री बागड़ी : | श्री किशन पटनायक : |

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुलिस के उस भद्दे तरीके की ओर आकर्षित किया गया

है जिससे वह मि० अ० क० गोपालन तथा अन्य संसद् सदस्यों का पीछा करती है और उनके पत्रों का सेन्सर करती है और टेलीफोनों को बीच में सुनती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वैधानिक स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस तरह इतना पीछा करने/सेन्सर करने/टेलीफोन को बीच में सुनने की, जिससे कि उक्त संसद् सदस्यों से मिलने या उनसे सम्बन्ध रखने में लोगों या उन सदस्यों के निर्वाचकों को, डर लगने लगे, और उनके संसदीय कार्य की पूर्ति में रुकावट या बाधा पैदा करने की, अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

**गृह-कार्य मंत्री ( श्री नन्दा ) :** (क) से (घ). मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से पूछताछ की है और यह कहने की स्थिति में हूँ कि सदस्यों अथवा उनके मिलने वालों को तंग करने, टेलीफोन को बीच में सुनने अथवा पीछा करने के आरोप बिल्कुल गलत हैं । भारतीय डाकखाना अधिनियम में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को लोकहित की दृष्टि से तथा जनक्षोभ को रोकने के लिये डाक द्वारा जाने वाली वस्तुओं को बीच में देखने, रोकने अथवा उनपर अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार देने के लिये कानूनी व्यवस्था है । भारतीय डाक अधिनियम की धारा 26 के अधीन सभी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही में डाक को बाटे जाने के लिये शीघ्रता से दे दिये जाने की व्यवस्था है और सामान्यतः यह काम दो-तीन घंटों में कर लिया जाता है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे याद है कि पिछले सत्र में संसद्-कार्य और संचार मंत्री से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि यद्यपि भारतीय डाक अधिनियम में व्यवस्था है, हिदायतें गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं । उस समय भी हमने मांग की थी कि दोनों मंत्रियों को उत्तर देना चाहिये । यह तो उत्तरादायित्व से बचना है । मैं तो आपसे केवल इतना कहूँगा कि संसद्-कार्य और संचार मंत्री—श्री जगन्नाथ राव यहां पर हैं—को भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये । अन्यथा फिर से इस प्रश्न को गृह-कार्य मंत्रालय से संचार मंत्रालय पर टाल दिया जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

**Shri Madhu Limaye :** Mr. Speaker, in the first part of the question I had asked whether shadowing, censoring of letters and telephones was being done or not. Will the Hon. Minister kindly state whether the telephone of any of the M.Ps. is tapped, his letters censored or he is shadowed ?

**Shri Nanda :** In case of no Member none of the three things, shadowing, censoring and tapping of telephones is done.

**Shri Maurya :** It is absolutely a lie.

**Shri Nanda :** The Hon. Member is calling it 'a lie'. This is not proper.

**Mr. Speaker :** Is the Hon. Member not aware that the use of words 'a lie' is not proper. He should withdraw his words.

**Shri Maurya :** The statement of the Hon. Minister is far from facts.

**श्री नन्दा :** उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये ।

**Mr. Speaker :** I will again request the Hon. Member to withdraw his words.

**श्री मौर्य :** उन्हें सभा में झूठ नहीं बोलना चाहिये, परन्तु वह झूठ बोल रहे हैं ।

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे कह रहा हूँ—कि ये शब्द वापस लें ।

**Shri Maurya :** Since you are pressing for it very much, I withdraw my words.

**Shri Madhu Limaye :** At the meeting of opposition leaders with you he had shown you the censored letters and the Hon. Minister says that letters are not opened.

**Mr. Speaker :** Postal articles are opened etc. under the Indian Post Office Act.

**Shri Madhu Limaye :** He has said that these were not opened.

**Shri Nanda :** I did not say that.

**Shri Madhu Limaye :** I will like to draw the attention of the Hon. Minister to Rule Nos. 22 (2) and 22 (3) of the Rules framed under Defence of India Act :

केन्द्रीय सरकार सामान्य रूप से अथवा भारत के अथवा भारत के बाहर के किसी स्थान विशेष के सम्बन्ध में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी भी वर्ग अथवा प्रकार की डाक से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु की प्राप्ति अथवा भेजने और/अथवा भारत से भेजने पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, विनियमन कर सकती है, पाबन्दियां अथवा शर्तें लगा सकती है ।

It reads further :

उप-नियम (2) के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश में उसका पालन कराने के उद्देश्य से आदेश में बताई गई परिस्थितियों में तथा बताये गये प्राधिकारियों द्वारा डाक द्वारा भेजी गई किसी भी वस्तु के अन्दर की चीज को रोक कर, खोल कर जांच करने की व्यवस्था की जा सकती है ।

May I know whether such an order has been issued under this rule ; if so, is he prepared to lay a copy of the same on the Table of the House ?

**Shri Nanda :** Whatever is being done, it is under Post Office Act and no other order has been issued.

**Shri Ram Sewak Yadav :** On a point of order, Sir, I seek your guidance. The Hon. Minister replied in the negative but Shri Gopalan is maintaining his charge. Therefore, may I know whether the statement of a member, who is suffering, whose telephone is tapped and who is shadowed, has got no significance ? I am also a sufferer. We are harassed and when we request for investigation by officers, it is turned down. How can we function ?

**Mr. Speaker:** What is the point of order involved in it? In fact it requires investigation, it will be done.

**श्री अ० क० गोपालन** : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के उत्तर से मुझे आश्चर्य हुआ है। इस सभा के अनेक सदस्यों ने मेरे घर के सामने दरवाजे पर वास्तव में आधी दर्जन खुफिया पुलिस के लोगों को देखा है। बहुत से पत्रकारों ने, जो वहां गये हैं, संसद् से सम्बद्ध पत्रकारों ने भी, न केवल उन्हें देखा है बल्कि उनकी कारों के नम्बर तथा अन्य बातें नोट की हैं और खुफिया पुलिस को दीं। साईकिलों और कारों पर वे मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या वे इस बात से इन्कार करते हैं।

**श्री नन्दा :** माननीय सदस्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं विशेष सावधानी के साथ जांच की और मैं माननीय सदस्य के घर पर चार बार गया ; मैं अन्दर नहीं गया और मैं तीन अलग-अलग दिन भिन्न-भिन्न समय पर वहां गया था। माननीय सदस्य वहाँ घूमने वाले भोले-भाले लोगों को अपने भोलेपन में......मैं कह सकता हूँ कि पहले दिन जब मैं वहां गया, तो मैंने सड़क के एक किनारे पर एक व्यक्ति को देखा।

**श्री वासुदेवन नायर** : क्या आपने पूर्व सूचना दी थी ?

**श्री नन्दा :** मैं स्टाफ कार में नहीं गया था। मैंने एक मित्र की कार ले ली थी ताकि किसी को पता न लगे। मैं कह सकता हूँ कि मेरे कार्यालय में भी, किसी को पता नहीं लगा, कि मैं कहां जा रहा था। मैं तो यह जानकारी दे सकता हूं कि मैंने एक व्यक्ति को देखा था। वहां पर निवास स्थान के नलकूप का एक मशीनमैन और सड़क के दूसरी ओर एक बूढ़े व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं था और जांच से पता लगा कि वह बूढ़ा व्यक्ति नगर पालिका के मलमूत्र निकासी विभाग का कर्मचारी था। इसी प्रकार, अन्य अवसर पर उसके पीछे की ओर गया था और उस समय भी वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था।

**श्री अ० क० गोपालन :** मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये तब आप कह सकते हैं कि मेरी बात सच है या मंत्री महोदय की बात सच है। मंत्री महोदय वहां पर विशेषाधिकार के बारे में सूचना दी जाने के बाद गये। मैं पुलिस वालों को जानता हूं क्योंकि अपने मुकदमे के सम्बन्ध में यहां आ रहा था, वे मेरा पीछा कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि यहां पर गुप्तचर कौन-कौन हैं क्योंकि मैं कई बार जब उच्चतम न्यायालय आया उन्होंने मेरा पीछा किया। यहां पर विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना हो जाने के बाद वे वहां पर ठहरे रहने के बजाय गश्त लगाने लगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री वहां पर विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी जाने के बाद गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे और भी कई अन्य माननीय सदस्य जानते हैं, उदाहरणार्थ, श्री द्विवेदी।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको बता सकता हूं कि वह विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के बाद गये क्योंकि मैंने उन्हें उस स्थल पर जाकर देखने को कहा था।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मंत्री महोदय का कथन तथा माननीय सदस्य का कथन परस्पर विरोधी हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के दौरान परस्पर विरोधी बातें सामने आई हैं, क्या वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा क्योंकि इसके अलावा श्री गोपालन के पास अपनी बात की पुष्टि का कोई अवसर नहीं है । समिति के सामने समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि भी साक्ष्य देने के लिये बुलाए जा सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्नों के बाद हम इस पर विचार करेंगे ।

**Shri Maurya :** The Hon. Minister has stated that he himself went to the residence of Shri Gopalan but he did not find any policeman there. I passed through the residence of the Hon. Member several times and I saw C. I. D. personnel there whom I know personally. They were noting something and keeping watch of the visitors of the Hon. Member. May I know when the Hon. Minister went there and who ordered the C. I. D. personnel to be there?

**श्री नन्दा :** वे माननीय सदस्य से सम्बन्धित कुछ और व्यक्ति होंगे । मेरे विभाग के कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि उन्होंने माननीय सदस्य पर पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने का प्रबन्ध नहीं किया है । वे लोग कोई और होंगे ।

**An Hon. Member :** When did he visit there?

**Shri Nanda:** I went there on 29th August, 3rd September and on one day of which I have no note.

**Shri Priya Gupta :** The Hon. Minister of Home Affairs has stated that there was no person to keep watch on the Hon. Member. May I know whether a person can be pushed out if he enters the compound?

**Mr. Speaker :** The opposition should exercise restrain on themselves and should not waste the time of the House.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : चाहे मंत्री महोदय कुछ भी कहें, हमारे मकानों पर समय-समय पर निगरानी रखी जाती है । क्या हम यह समझें कि यदि कोई व्यक्ति अवैधरूप तथा अनधिकृत रूप से निगरानी रखते हैं और यदि हम उन्हें पकड़ लें, तो क्या मंत्री महोदय उन्हें दण्ड देंगे और इस सभा में बताएंगे कि उन्हें दण्ड दिया गया है ।

**श्री नन्दा :** यदि कोई व्यक्ति अवैध कार्यवाही के बारे में शिकायत करेगा, तो अवश्य अपेक्षित दण्ड दिया जायेगा । मुझे अपने विभागों से सूचना मिली है कि वहां पर किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिये तैनात नहीं किया गया है । संसद् सदस्यों के बारे में उन्हें स्पष्ट हिदायतें हैं ।

**Mr. Speaker :** Is there any other agency to keep watch over them other than that of Ministry of Affairs?

**श्री नन्दा :** सरकारी एजेन्सी के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैंने सम्बन्धित सभी एजेन्सियों से पूछताछ की और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी ओर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। (अन्तर्वाधाएं) :

**Mr. Speaker :** The proceedings cannot proceed like this.

**An Hon. Member :** Mr. Speaker......

**(अन्तर्बाधाएं)** **

**अध्यक्ष महोदय :** It will not be recorded.

**अन्तर्बाधाएं :** **

**श्री नन्दा :** माननीय सदस्य ने कुछ कहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** उसे रिकार्ड नहीं किया गया है।

**श्री प० कुन्हन :** यह झूठ है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह सहन नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य को ये शब्द वापिस लेने पड़ेंगे।

**श्री प० कुन्हन :** मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं।

**श्री जी० भ० कृपालानी :** हमारे सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कार्यकाल में मैंने इस सभा में दो तीन बार कहा था कि मेरे टेलीफोन अन्य व्यक्तियों के द्वारा सुने जाते हैं और मेरे पत्र खोले जाते हैं तथा कहीं जाने पर मेरे टिकटों की जांच-पड़ताल होती है। मैंने यह शिकायत की थी। प्रत्येक सरकार ऐसा करती है। हमें उसी के साथ रहना है। मैं नहीं समझा कि मेरे मित्र ऐसी शिकायतें क्यों कर रहे है।

**श्री दाजी :** मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वैस्टर्न कोर्ट में, जहां संसद् सदस्य रहते हैं, अनेक गुप्तचर रहते हैं—एक सरदार जी मेरे लिये तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त के लिये तथा श्री कामत के लिये एक पंजाबी सज्जन हैं। वे स्वागत कार्यालय में आते हैं और हमारे मिलने वाले सब लोगों के नाम लिखते हैं। जब हम संसद् भवन से लौटते हैं वे बाहर आंगन में खड़े रहते हैं और वह हमारे मिलने वाले लोगों से बातचीत भी करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री त्यागी :** चीनी आक्रमण के समय साम्यवादी लोगों के मकानों की सुरक्षा की गई और वहां पर पुलिस तैनात की गई थी ताकि उन्हें कोई हानि न पहुंचाए। क्या वे आदेश वापिस ले लिये गये हैं अथवा अभी लागू हैं ?

---

** कार्यवाही वाद-विवाद में सम्मिलित नहीं की गई।

** Not Recorded.

**श्री नन्दा :** सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मैं पूरी और सही जानकरी दे चुका हूं । फिर मैं इस बात को दोहराता हूं कि मैंने जो कुछ जानकारी दी है वह बिल्कुल सही है । जहां तक माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है उसकी अवश्य रक्षा की जानी चाहिए किन्तु उससे परे यदि कोई बात देश के हित के विरुद्ध होती है तो अन्य बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है ।

**श्री दाजी :** इसका क्या तात्पर्य है ? यदि यह नहीं किया जा रहा है, तो दूसरा भाग अनावश्यक हो जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा की कार्यवाही चलने दीजिये (**अन्तर्बाधाएं**) ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके राज्य में न तो किसी के पत्र खोले जाते हैं, न किसी के टेलीफोन सुने जाते हैं और न ही किसी का पीछा किया जाता है । किन्तु श्री त्यागी के प्रश्न के बारे में न तो उन्होंने स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार । क्या पोस्टल अधिनियम के अन्तर्गत अथवा गृह-मंत्रालय के कोई ऐसे स्थायी आदेश हैं कि उन सभी पत्रों को खोला जाये जिन पर डाक विभाग को शक हो ? कई बार पत्रों पर डाकखाने की मुहर तक नहीं होती है ताकि लोग यह समझें कि उन पत्रों की ओर डाकखाने वालों का ध्यान नहीं गया । यदि इस प्रकार के आदेश हैं तो कितने संसद्-सदस्यों के पत्र खोले जाते हैं और टेलीफोन सुने जाते हैं ।

**श्री नन्दा :** माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक तरह नहीं समझा । मैंने कभी नहीं कहा कि पत्र नहीं खोले जाते हैं । मैंने केवल प्रक्रिया बताई है और वह अधिनियम के अन्तर्गत है । मैं यह नहीं बताऊंगा कि डाक अधिकारी यह कार्य किस प्रकार करते हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** श्री नन्दा द्वारा इस प्रश्न पर उत्तर दिये जाने के तुरन्त बाद मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया क्योंकि जब हमने इसी प्रकार का प्रश्न श्री सत्यनारायण सिंह से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि गृह-कार्य मंत्रालय के आदेश से ऐसा किया जाता है । मैं यह भी कह सकता हूं कि विरोधी दल के 16 सदस्यों के नाम गुप्तचर विभाग की सूची में हैं और उनके पत्र नियमित रूप से खोले जाते हैं । मैं इसे साबित कर सकता हूं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** नियम 227 स्पष्ट है । यदि आप उचित समझें, तो इस नियम के अन्तर्गत आप किसी मामले को स्वयं विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं । मेरा निवेदन यह है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह बात कही है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हम में से कुछ लोगों की गतिविधियों की निगरानी रखते हैं और इसके लिए उनका एक शासनतन्त्र है । इस बात की उचित जांच होनी चाहिए । यह ऐसी बात है जो प्रमाणित हो सकती है अथवा गलत सिद्ध हो सकती है । जब संसद् का सत्र चल रहा हो, तो किसी भी दल के संसद्-सदस्य को गृह-कार्य मंत्रालय के किसी अधिकारी के निश्चय के अनुसार, इस आधार पर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल काम

करते हैं, संसद्-सदस्य के रूप में काम करने में लगातार बाधा डाली जाये तो प्रश्न यह उठता है कि इस बात का निश्चय किया जाये कि वास्तव में हो क्या रहा है और गृह-कार्य मंत्री का उत्तर क्या है और जहां तक यह उत्तर नकारात्मक है, यह देखने की आवश्यकता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाये जाने के बाद क्या हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए एक बिल्कुल स्पष्ट मामला प्रमाणित हो चुका है। अतः आपको यह अधिकार है कि इस मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि उन्होंने मुझे बता दिया है, मैं देखूंगा कि क्या मेरे लिये अपने आप ऐसा करना उचित होगा।

**श्री कंडप्पन :** मंत्री महोदय बार-बार कह रहे हैं कि उनके विभाग के किसी भी कर्मचारी को श्री गोपालन के निवास-स्थान पर तैनात नहीं किया गया है; दूसरी तरफ, वह कहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति अथवा एजेन्सी हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि वह सी० आई० ए० अथवा अन्य हो। श्री गोपालन कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं और उन्होंने वह सभा को बताये हैं, मैं समझता हूं कि सभा में उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, उन्हें प्रमाणित करने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की विस्तृत जांच करायेगी ?

**श्री नन्दा** : मैं कह चुका हूं कि हमने इसकी विस्तृत जांच की है। सरकार से सम्बद्ध किसी भी एजेन्सी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जब मैंने 'कोई' कहा, तो यह एक दल के विरुद्ध दूसरा दल हो सकता है।

**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया है कि कुछ सदस्यों के लिये सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में मैं तो कहूंगा कि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करने की अपेक्षा वे इन सदस्यों का मर जाना पसन्द करेंगे। यह चाहे कुछ भी हो, पत्र खोले जाते हैं। अंग्रेजों के राज में भी पत्र खोले जाते थे लेकिन वे सफाई से खोले तथा चिपका दिये जाते थे। आजकल वे पत्रों को चिपकाये बिना वैसे ही भेज देते हैं अथवा इतना अधिक गोंद लगा देते हैं कि आप उन्हें खोल नहीं सकते। श्री मुकर्जी ने जो कुछ कहा है यह मामला गृह-मंत्री के वक्तव्य में विरोधाभास होने के कारण विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पिछले सप्ताह ही आपने अपने आप नियम 227 लागू किया था। मैं समझता हूं कि इस मामले में नियम 227 का उपयोग करें और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी**: गृह-मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि डाकघर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कुछ संसद्-सदस्यों के पत्र खोले जाते हैं। पिछले 16-17 वर्षों से मैं इसका शिकार होता आया हूं। किस कसौटी के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि सदस्यों के पत्र खोले जायें। अपने मामले में मैं विशेष रूप से जानता हूं—मुझे नहीं मालूम यदि अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचा है—कि मेरे व्यवसायिक कार्य आदि से सम्बन्धित पत्र रोक लिये जाते हैं और कार्य की तिथि निकल जाने पर ही मुझे भेजे जाते हैं। इससे मुझे आर्थिक हानि होती है। इसलिए

मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई सिद्धान्त बता दिया जाये ; अथवा, हम सादे पोस्ट कार्ड पर लिखें ताकि उन्हें अच्छी तरह पढ़ा जा सके।

**श्री हेम बरुआ :** मेरी पत्नी द्वारा मुझे लिखे गये पत्र तक खोले जाते हैं।

**Shri Raghunath Singh:** May I know whether telephone of a person suspected of espionage is also tapped and his letters are opened ; and if he rings up some M. P. will it be tapped or not?

**Mr. Speaker:** This is a hypothetical question.

**Shri Tyagi:** The Hon. Minister has not given any answer. It must be a fact.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या मंत्री महोदय को याद होगा कि दो या तीन सप्ताह पहले मैंने उन्हें सीधे पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की थी कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसी हिदायतें दें जिससे उनके द्वारा मुझे भेजे जाने वाले खुले और बिना चिपके पत्र देखने में भद्दे न लगें और मेरे पास वे पत्र सभ्य ढंग से पहुंचा दिये जायें ? इसके बाद मेरे सारे पत्र बन्द आने लगे। क्या इससे मैं यह समझूं कि श्री नन्दा को लिखे गये पत्र और बाद में की गई कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप तथा उनके प्राधिकारियों और मंत्रालयों द्वारा दी गई हिदायतों के कारण ऐसा किया जा रहा है ?

**श्री नन्दा :** इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Shri Ram Sewak Yadav:** Is the telephone of Shri Atulya Ghosh being tapped after the arrest of Sunil Das ; are his letters being censored ?

**Mr. Speaker:** Questions cannot be put about each member.

**Shri Madhu Limaye:** Its reply should be given. The original question relates to Shri A. M. Gopalan and other M. Ps.

**Shri Bade:** Does the Government receive from all the states such as Madhya Pradesh, U. P. and Maharashtra, a list of undesirable persons giving their code names, as "19 M. P." is my code name for me, "23 M. P." is that of Shri Kachhavaiya ? Are such wireless messages, as "watch 19 M. P. coming" and "watch 23 M. P. coming", are also received ? Are orders issued thereafter to tap their telephones. to censor their letters and to watch their movements and security men are posted in front of their houses ?

**Shri Nanda:** Our direction is not to keep M. Ps, under surveillance.

**Shri Bagri:** I may submit that I and many other Hon. Members have themselves noticed Government officials and policemen there and the Hon. Minister is denying it. Therefore, will an enquiry be made and what action will be taken against officers responsible for harassment of members by the Police without the approval of the Home Minister ?

**Shri Nanda:** I had asked the Police authorities, who say that they are not sending their men there.

**Shri Ram Sewak Yadav:** Reply has not been given.

**Mr. Speaker:** The Minister has told that they have enquired from all their agencies.

**श्री ही० ना मुकर्जी** : क्या हमें संसदीय प्रणाली में काम करना है या नहीं ? यदि करना है, तो एक दल और दूसरे दल तथा एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता और संसद् के रहते हुये कुछ दलों अथवा कुछ सदस्यों पर कोई विशेष प्रशासनिक प्रतिक्रिया लागू नहीं की जा सकती। देश का कानून ऐसे लागू हो तो कुछ दल बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे अथवा सामान्य जीवन से कुछ सदस्य बिल्कुल ही निकल जाएंगे।

सरकार से खुले रूप में यह सुनकर बहुत अधिक आत्म-संताप होता है कि राष्ट्र-सुरक्षा के हितों में सरकार को सदस्य-सदस्य तथा दल-दल के बीच भेदभाव करने और कुछ सदस्यों और कुछ दलों के विरुद्ध अति-विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। यदि ऐसा है, तो संसदीय प्रणाली के काम करने के बारे में कुछ मौलिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मैं उन पर विचार करने के लिये आपसे अनुरोध करता हूं। यह सत्र समाप्त होने वाला है, अनेक घटनायें हो चुकी हैं और अव्यवस्था प्रतिदिन की घटना हो गई है, मुख्यतः इसलिये कि सरकार ऐसे ढंग से व्यवहार कर रही है जिससे प्रतीत होता है जैसे कि हमारे यहां संसदीय प्रणाली है ही नहीं। प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं, उनसे ऐसा ही दिखाई देता है। जहां तक संसदीय प्रणाली को सम्भवतः जारी रखने का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम संसदीय प्रणाली के अधिक पक्ष में नहीं हैं। लेकिन यह एक भिन्न बात है। सरकार जैसी कार्यवाही करना आरम्भ कर रही है और यह खुले रूप में संसद् में कहा जा रहा है, उससे संसदीय प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है। हमारी क्या स्थिति है ? श्री नन्दा कहते हैं कि सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कुछ संसद्-सदस्यों पर, जो यहां प्रत्येक अन्य के समान अधिकार के आधार पर काम कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की जा रही है। श्रीमान, जो संसदीय प्रणाली के लिए शोभनीय नहीं है। इसका अर्थ संसदीय प्रणाली को तिलांजलि देना होगा। जो देश की समस्त संसदीय व्यवस्था का प्रतीकस्वरूप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे इस पर विचार करने के लिए कहूंगा। हमें किसी विशेष समय पर संसद् में होने वाले बहुमत की दया पर आश्रित नहीं रहना चाहिए।

**श्री नन्दा :** मैं माननीय सदस्य की पूर्व धारणाओं का खंडन करता हूँ। वे एक वक्तव्य मेरे सिर मढ़ रहे हैं जैसे कि एक दल तथा दूसरे दल के सदस्यों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब मैंने यह कहा कि राष्ट्र-सुरक्षा सर्वोच्च है; तो मैंने पहले सदस्यों के विशेषाधिकार कहे और बाद में कोई और चीज। मैंने यह फर्क रखा था। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है जिससे माननीय सदस्य के कार्य में बाधा उत्पन्न हो और इसके बाद राष्ट्र-सुरक्षा के हित में जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह निश्चय ही करना पड़ेगा।

**श्री रंगा** : गृह मंत्री महोदय ने जो कुछ अभी कहा क्या उससे हम यह समझें कि सदस्य-सदस्य तथा सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ? यदि ऐसा है, तो मंत्री-परिषद् की तो बात जाने दीजिये, क्या कांग्रेस के 370 सदस्यों में से $\frac{1}{10}$ भाग के साथ भी ऐसी अशिष्टता की गई है ? एक ऐसे व्यक्ति, जिसे वे भी यहां एक राष्ट्रीय

नेता मानते हैं और जो इस देश का प्रथम गर्वनर-जनरल था और जो आज मेरा नेता है, श्री राजाजी के पत्र भी सेंसर किये जा रहे हैं। मेरे पत्र भी सेंसर किये जा रहे हैं। मुझे यहां सब सदस्यों में से कुछ वरिष्ठतम सदस्यों में से माना जाता है और मैंने यदि अधिक नहीं तो अन्य सदस्यों की भांति परेशानी उठाई है। यहां मेरे उपनेता के साथ भी यही स्थिति है। उनका प्रत्येक पत्र सेंसर किया जाता है, मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि यहां तक कि उनके घर से आने वाले पत्र भी सेंसर किये जाते हैं। मेरी पत्नी से प्राप्त होने वाले मेरे पत्र इतने अधिक समय तक सेंसर किया जाता रहा है कि हाल में, डाक अधिकारियों की अकुशलता या, आप कह सकते हैं, जड़मतिपूर्ण व्यवहार के कारण पत्रों को इस ढंग से काट दिया गया था कि उन्होंने मुझे पत्र लिखना ही बंद कर दिया है ; केवल मेरे पत्र उन्हें प्राप्त होते हैं; ये सब बाते हो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ यदि माननीय सदस्य कहें कि इस देश की सुरक्षा के लिये कुछ बातें करनी ही हैं ; वे खेद व्यक्त करते हैं, फिर भी ये बातें करनी पड़ती हैं। जहां तक संसद्-सदस्यों का सम्बन्ध है, उनके कुछ विशेषाधिकार हैं ; इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए संसद् और उसके बाहर भी कांग्रेस सदस्यों तथा अन्य सदस्यों के बीच उस सेवा द्वारा भेदभाव किये जाने देने के लिए उन्हें संसद् तथा देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह भेदभाव किया जा रहा है अथवा नहीं और यदि हां, तो क्यों ?

श्री रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है 'किम' और कैनेडी हत्याकाण्ड सम्बन्धी जस्टिस वारेन आयोग का प्रतिवेदन है। इसलिए, खुफिया पुलिस विभाग गृह-मंत्री और गृहमंत्रालय के अधीन नहीं है, वे ये तो मानलें कि खुफिया पुलिस को अपना काम करना है।

**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक संसद्-सदस्यों के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है, यह मुझे देखना है कि उनके कर्त्तव्यों में बाधा न आए। यदि उन्हें परेशान किया जाता है अथवा उन्हें कर्त्तव्य पालन में कोई रुकावट आती है और कोई मामला मुझे बताया जाता है, तो मैं निश्चित ही प्रत्येक सदस्य की सहायता करूंगा। यदि किसी अन्य सदस्य को यह कठिनाई है, तो मैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** आप मामले की जांच का आदेश क्यों नहीं देते ?

**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक प्रशासनिक कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह मेरा काम नहीं है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### रेल द्वारा खाद्यान्नों को ले जाते समय क्षति हो जाने के समाचार

**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"गुंटकल से आंध्र प्रदेश के कडप और चित्तूर जिलों के विभिन्न स्थानों को खुले रेल वैगनों में अनाज ले जाते समय कई लाख रुपये के अनाज की क्षति होने का समाचार।"

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : वक्तव्य दो पृष्ठ का है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे सभा-पटल पर रख दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया जाये। उसे सदस्यों को परिचालित करने के पश्चात् सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-7020/66]

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)
## RE: CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : हमने ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी थी जिसकी अनुमति आपने नहीं दी। उसका सम्बन्ध विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार से है। गृह-कार्य मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : लगभग 150 विद्यार्थी घायल हुये हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

**अध्यक्ष महोदय** : जिस मामले की मैंने अनुमति नहीं दी, उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

**Shri S. M. Banerjee** : You may kindly listen to me........

**Mr. Speaker** : Mr. Bannerji, I have told you that I am not allowing this matter to be raised here.

**Shri Rameshwaranand** (Karnal) : On a point of order, Sir. You may kindly listen to me (**Interruptions**).

**Mr. Speaker** : The question does not arise now.

**Shri Rameshwaranand** : You are not listening to me. It is not an ordinary question***

**Mr. Speaker** : This will not be recorded. Press may also be asked to do likewise.

**Shri Rameshwaranand** : ***

**Mr. Speaker** : I now name Shri Rameshwaranand for interrupting the proceedings of the House.

**Shri Rameshwaranand** : ***

**Mr. Speaker** : I name him.

**संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, श्री रामेश्वरानन्द को, जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

*** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not Recorded.

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, श्री रामेश्वरानन्द को, जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : When it is a question of one's feelings such things happen. I request you to postpone the proceedings of the House for about ten minutes.

**Mr. Speaker :** I adjourn the House for half an hour.

**उसके पश्चात् लोक-सभा बारह बजकर पचपन मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till fifty five past twelve of the clock.**

---

**सभा बारह बजकर पचपन मिनट पर पुनः समवेत हुई ।**

**The House re-assembled at fifty five past twelve of the Clock**

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair** ]

---

## विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
## Re. QUESTION OF PRIVILEGE

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा मधुलिमये ने श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की एक सूचना दी थी । उठाई गई बातों में ऐसा कोई सार नहीं है जिसके आधार पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाना ठीक हो । केवल एक बात अवश्य है कि क्या माननीय सदस्य ने सदन को जानबूझ कर झूठ बतलाया है या गुमराह किया है । इस बात का सम्बन्ध उनके दो वाक्यों से है । एक तो यह कि उन्होंने कहा कि वह श्री मोहित चौधरी को कभी नहीं जानते थे जबकि वास्तव में वह उन्हें जानते थे । दूसरा यह कि उन्होंने बताया कि श्री सुनीलदास के घर की तलाशी लिये जाने के पश्चात् वह उनके पास आया । यह गलत है क्योंकि श्री सुनीलदास को तलाशी के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था ।

यह भी कहा गया है कि पुलिस के समक्ष श्री मोहित चौधरी का स्वीकृति वक्तव्य प्राप्त किया जाये । परन्तु माननीय सदस्य के कथन की सचाई अभियुक्त के पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष वक्तव्य से नहीं जांची जायेगी । सदस्य के वक्तव्य पर विश्वास अवश्य किया जाना चाहिये । यह सिद्ध करने के लिये कि सदस्य ने जानबूझ कर गलत बताया है, अभियुक्त का पुलिस के समक्ष वक्तव्य पर्याप्त नहीं है ।

दूसरी बात के बारे में संगत बात केवल यह है कि क्या श्री सुनीलदास उनके पास आया था और क्या उसे वकील से परामर्श लेने को कहा गया था । उस विषय में भी यह प्रमाणित

करने के लिये कोई सामग्री नहीं है कि श्री अतुल्य घोष ने जानबूझ कर झूठ बोला था । इसलिए, इन दोनों मामलों में कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है ।

**श्री दाजी** (इन्दौर) : डा० लोहिया ने एपीजे लाइन्ज लिमिटेड द्वारा अपने कप्तानों को लिखे गये पत्र की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत की थी । वह पत्र चावल आदि के चोरी छिपे लाने ले जाने के सम्बन्ध में है । उस समय श्री पाटिल खाद्य मंत्री थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : This matter was raised 6 or 7 days ago. There has been a smuggling of 40,000 Rupees over a single ship.

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Will it be brought in the present session ?

**Mr. Speaker** : Let me see it first.

**रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब तक आप इस मामले को देखें नहीं और जब तक मुझे सूचना न दी जाये तब तक कार्यवाही में से मेरे नाम के प्रति उल्लेख निकाल दिया जाना चाहिये ।

**(अन्तर्बाधायें)** ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : It seems that the Government have no self-respect. There is a definite accusation of conspiracy against the Government. This matter is pending for the last six days.

**Mr. Speaker** : I will see it today.

**Shri Raghunath Singh** (Varanasi) : The opposition should also have some self-respect.

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### केरल नगरपालिकायें (कारखानों का निर्माण या उनकी स्थापना अथवा संयंत्रों या मशीनों का लगाया जाना) नियम, 1966

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिकायें अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केरल नगरपालिकायें (कारखानों का निर्माण या उनकी स्थापना अथवा संयंत्रों या मशीनों का लगाया जाना) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ संख्या 176/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7021/66]

## अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर)** : श्रीमान्, मैं केरल में दैनिक समाचार-पत्रों के बारे में श्री अ० व० राघवन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के 25 जुलाई, 1966 को दिये गये उत्तर में शुद्ध करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-7022/66]

---

## सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

### कार्यवाही सारांश

**श्री सिद्धनंजप्पा** (हसन) : श्रीमान्, मैं 8 और 31 अगस्त, 1966 को हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की छब्बीसवीं तथा सताईसवीं बैठकों के कार्यवाही-सरांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि संसद्-कार्य मंत्री ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को एक पत्र लिखा है कि यदि समिति काम के हेतु किसी सामग्री की मांग करे तो उसे सीधा नहीं भेजा जाये अपितु संसद्-कार्य विभाग के माध्यम से भेजा जाये । समिति ने नियम 210 के अन्तर्गत उस पत्र की प्रति की मांग की है जो कि मंत्री महोदय ने सभी मंत्रालयों को भेजा था । 6 मास गुजर गये हैं परन्तु वह पत्र अभी तक समिति को नहीं दिया गया । आपने इस सम्बन्ध में संसद्-कार्य मंत्री के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय देने के लिए कहा था । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में अपना निर्णय दें कि क्या उनका व्यवहार उचित था……।

**श्री दाजी** (इन्दौर) : साधारणतया जब सभा के समक्ष कोई आश्वासन दिया जाता है तो वह समिति के समक्ष प्रस्तुत होता है और निश्चित समय के अन्दर उसका उत्तर दिया जाना होता है । कई बार इसमें कुछ मास लगते हैं और कई बार एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है, कुछ आश्वासन इस प्रकार के होते हैं कि उनका उत्तर शीघ्र मिलना चाहिए । ऐसे मामलों में आश्वासनों सम्बन्धी समिति तुरन्त मामला हाथ में लेती है अथवा हमारे हितों की सुरक्षा के लिए आप उन्हें हाथ में लेते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस अवसर पर आश्वासनों का मामला नहीं उठाया जा सकता ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि बोनस अधिनियम तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध के वक्तव्य दिया जायेगा । क्या श्रम मंत्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल ऐसे मामलों के सम्बन्ध में बोलें जो सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री कामत ने उस पत्र का मामला उठाया है जिसे संसद्-कार्य मंत्री ने प्रस्तुत नहीं किया । उन्होंने वह पत्र मुझे भेजा है । उनका अभिप्राय मंत्रालयों द्वारा समिति को भेजे जाने वाले पत्रों में हस्तक्षेप करना नहीं है । अपितु उनके कथनानुसार उनका अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें प्रत्येक बात की जानकारी हो क्योंकि वह सभा के समक्ष उत्तरदायी हैं । वह यह जानना चाहते हैं कि समिति तथा सम्बन्धित विभागों के बीच क्या हो रहा है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : यदि मंत्री महोदय चाहते हैं कि उन्हें जानकारी रहे तो उन्हें केवल इस बात की मांग करनी चाहिए कि पत्रों की प्रति उन्हें भेजी जाये न कि पत्र उनके माध्यम से भेजे जायें ।

**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या मंत्री महोदय का कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि मंत्रालय ऐसे उत्तर न दें जो कि संतोषजनक न हों ? जब तक पत्र उनके माध्यम से न भेजे जायें, वह अपना कर्त्तव्य कैसे निभा सकते हैं ?

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दस अथवा पन्द्रह वर्षों से संसद्-कार्य विभाग को राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत आश्वासनों की क्रियान्विति का कार्य सौंपा गया है । मुझे मालूम नहीं समिति ने किन कारणों से सभी मंत्रालयों को पत्र लिखा है । इस पर मैंने मंत्रालयों से निवेदन किया कि इन वर्षों में जो तरीका अपनाया जाता रहा है, वही तरीका अपनाया जाये अर्थात् पत्र संसद्-कार्य विभाग के माध्यम से भेजे जायें । मैंने केवल यही कहा है कि पत्र सीधे भेजने की बजाय संसद्-कार्य विभाग के माध्यम से भेजे जायें ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) **:** मंत्री महोदय ने संसद की समिति में इस प्रकार हस्तक्षेप करने के लिए खेद प्रकट करने की बजाय यह कहा है कि यह बात उचित है जबकि समिति के प्रतिवेदन में यह शिकायत की गई है कि यह बात उचित नहीं है और उन्होंने पत्र-व्यवहार में रुकावट डाली है । **(अन्तर्बाधायें)** । इसके लिए उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए ।

**श्री त्यागी** : सभा के नेता को न केवल उत्तर ही देने होते हैं बल्कि उन्हें यह भी देखना होता है कि सभा के अधिकार बनाये रखे जायें । उन्होंने इसी उद्देश्य से ही यह आज्ञा दी है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) **:** किस लिए ?

**श्री त्यागी** : सभा के नेता द्वारा पत्र इस उद्देश्य से जारी किया गया है ताकि मंत्रालय समिति को टालने वाले उत्तर न देकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें जिससे ये समितियां अच्छी प्रकार अपना कार्य कर सकें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समिति के सभापति तथा सभा के नेता से परामर्श करूंगा ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि किसी संसदीय समिति के कार्य में किसी मंत्री तथा किसी अन्य व्यक्ति की कार्यवाही से बाधा पड़ती है तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि संसद्-कार्य मंत्री की कार्यवाही से विशेषाधिकार भंग हुआ है । प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 270 में कहा गया है कि :

"समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी ।"

ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि ये पत्र किसी की मार्फत मंगाये जायें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि समिति के कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ।

**श्री रंगा** : यह बात बिल्कुल स्पष्ट करके कहनी चाहिए । समिति के मंत्रालयों को लिखने तथा उनसे सीधे उत्तर मंगाने का अधिकार है । मेरे विचार में संसद्-कार्य विभाग की मार्फत ऐसा करना अनावश्यक है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि समिति के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य देकर नियमों का उल्लंघन किया है । आपने बताया है कि मंत्री महोदय ने खेद प्रकट कर दिया है परन्तु अब जो मंत्री महोदय ने किया है वह इसके बिल्कुल प्रतिकूल है······**अन्तर्बाधा**

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हम आपका निर्णय चाहते हैं कि क्या मंत्री ने पत्र जारी करके ठीक कार्य किया है ।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : You had given an assurance that discussion will be held regarding area of the Indian Union but nothing has been said about that in this report. I would like to know whether you will fulfil your assurance because only two days are left in this session ?

**Mr. Speaker :** This question has been raised earlier also by many Hon. Members. I requested them to sit down and now you have raised this question. These things cannot go on in such a way. I have already admitted this. The Hon. Minister has said that he will give a statement.

**Shri Ram Sewak Yadav :** Mr. Speaker ........ .*

**Mr. Speaker :** Don't write anything now ......*अन्तर्बाधायें

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Have you admitted it ?

**Mr Speaker :** I have admitted it.

---

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया ।

*Not recorded.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The fact that large chunk of Indian territory has been taken away by others. If these things are not discussed here then how the people will come to know that the area of Indian Union is getting reduced.

---

## राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव :** मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 25 अगस्त, 1966 को पास किये गये जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 2 सितम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 31 अगस्त, 1966 को पास किये गये अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 3 सितम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मैं जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, जो कि राज्य सभा से वापिस आ गया है, के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान नियम 97 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि :

"यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य-सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक राज्य-सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाये तो उस विषय में राज्य-सभा से प्राप्त सन्देश सचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदन किया जायेगा।"

परन्तु इस मामले में यह हुआ है कि जो विधेयक अब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिये भेजा जा रहा है सर्वप्रथम नियम 128 के अन्तर्गत आपको पेश किया गया था। इस सभा द्वारा नियमित रूप से पारित नहीं किया गया है।

अभिलेख देखने से पूर्व आप नियम 93 और 94 को देख लें, नियम 93 और 94 विधेयक के तीसरे पठन के सम्बन्ध में हैं। नियम 94 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि :

"इस प्रस्ताव पर कि विधेयक, या विधेयक, संशोधित रूप में, यथास्थिति, पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिये दिये गये प्रतर्कों तक सीमित होगी......

नियम में यह है कि तीसरा पठन होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब इसको नहीं ले सकता।

**श्री हरि विष्णु कामत :** भविष्य के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या निर्णय है क्योंकि उस दिन सभा में इस विधेयक को पास कर दिया गया जबकि सदस्य इस पर अभी चर्चा के इच्छुक थे। उन्होंने समस्त सभा की उपेक्षा करते हुए यह कहा था "यदि आप मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं" क्या यह उचित है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपका क्या निर्णय है ?

**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ हो चुका है उस बारे में मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता चाहे वह गलत है अथवा ठीक।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका
PETITION RE : CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

**श्री समनानी** (जम्मू तथा काश्मीर): मैं श्री अब्दुल गनी गोनी के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अष्टम अनुसूची का संशोधन) के बारे में ग्यारह याचिकादाताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

---

## लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

**सत्तावनवां प्रतिवेदन**

**श्री मुरारका (झुंझनू):** मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार प्रभाग द्वारा किये गये खर्च के बारे में लोक लेखा समिति का 57वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

## प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली के भविष्य के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : FUTURE OF MANAGING AGENCY SYSTEM.

**विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक):** मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-7024/66]

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं कल इसको परिचालित करूंगा तथा परसों सदस्यों को इस पर कुछ कहने का अवसर दिया जायेगा।

---

## सान्ताक्रुज के निकट इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ACCIDENT TO INDIAN AIRLINES CORPORATION'S PLANE NEAR SANTA CRUZ

**परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** मैं दुख के साथ यह बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक कैरेवेल जेट विमान, जब

वह प्रशिक्षण उड़ान कर रहा था और जिसमें तीन चालक तथा एक फ्लाइट इंजीनियर था, थाना से लगभग $8\frac{1}{2}$ मील दूर एक पहाड़ी पर गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके फलस्वरूप विमान पूर्णतया नष्ट हो गया और समस्त चालक दल मारा गया। इस विमान में कैप्टेन जंग, जोकि एक बहुत ही योग्य तथा वरिष्ठ चालक थे, शिक्षक के रूप में थे। फ्लाइंग कन्ट्रोल को विमान से अन्तिम संदेश प्रातः 11.25 मिनट पर मिला था जिसमें कहा गया था कि वह एक इंजन बन्द करके, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अंग है, नीचे उतरने जा रहा है। फ्लाइंग कन्ट्रोल से इस विमान को कलकत्ता से नियमित सेवा के अनुसार आने वाले एक वाइकाउण्ट विमान के पश्चात् उतरने के लिये कहा गया था। इसके पश्चात् विमान से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।

तलाश की कार्यवाही तुरन्त आरम्भ कर दी गई थी। यह सूचना मिलने के पश्चात् कि थाना बेलापुर रोड पर एक विमान जलता हुआ देखा गया है असैनिक उड्डयन विभाग और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने तुरन्त ही बचाव दल घटनास्थल की ओर भेज दिये। थाना के सिविल सर्जन तथा डिप्टी सुपरिंटेन्डेण्ट भी घटनास्थल को गये।

सायंकाल को कमबट्टा एविएशन लिमिटेड का एक हैलिकोप्टर दुर्घटनास्थल के निकट उतरा और उसने भग्नावशेष तथा तीन शवों का पता लगाया। बचाव दल भी शाम को देर से दुर्घटनास्थल पर पहुंचा और बुरी प्रकार विक्षत तीनों शवों को वापिस ले आया। चौथे शव का पता नहीं चल सका। विमान के तीन टुकड़े हो गये थे। असैनिक उड्डयन विभाग के विमान-सुरक्षा निदेशक के प्रारम्भिक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके मिलने के बाद ही हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस मामले की परिस्थितियों में न्यायायिक जांच करवाना आवश्यक होगा अथवा नहीं।

विमान के नष्ट हो जाने के कारण समय-सारणी में गड़बड़ हो जायेगी परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जा रही है कि जब तक नवम्बर में एक और दिसम्बर में दूसरा कैरेवेल विमान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उड़ानों की नई सारणी का बिना किसी कठिनाई के पालन किया जाये।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) समाचार-पत्रों में बताया गया है कि उस पहाड़ी पर मौसम बहुत खराब था। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शिक्षकों ने यह देखने का यत्न किया कि ऐसे खराब मौसम में नये प्रशिक्षणार्थियों को विमान न उड़ाने दिया जाये ? क्या कोई पूर्वोपाय किये गये थे ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : कल बम्बई में बादल छाये हुए थे और वर्षा भी हो रही थी परन्तु विमान के उतरने के लिये मौसम खराब नहीं था। यहां नये प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इन चालकों को पर्याप्त अनुभव है और ये कैरेवेल विमानों के सह-चालक हैं, यह एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है ताकि विभिन्न कठिन परिस्थितियों में स्थिति का मुकाबला करने के लिये चालकों को अनुभव हो सके।

**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या बम्बई के आसपास 200 मील का यह पता लगाने के लिये कि ऐसी पहाड़ियां तो नहीं हैं जो विमानों की उड़ान और उतरने में बाधक हों, सर्वेक्षण किया गया है ताकि इन पहाड़ियों को हटाया जा सके और जनता तथा चालकों को कोई खतरा न हो।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** बम्बई के हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने के लिये सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण था जिसमें एक इंजन को जानबूझ कर बन्द करके विमान को नीचे उतरना था। यह बात वैज्ञानिकतौर पर सिद्ध हो चुकी है कि वहां पर ऐसी कोई बाधा नहीं है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

**श्री दाजी** (इंदौर) : जबकि मौसम खराब था, दिखाई कम देता था, तो एक इंजन को बन्द करके विमान को उतारने का दोहरा जोखिम क्यों लिया गया ?

**श्री चे० मु० पुनाचा :** हमारे अधिकारी घटनास्थल पर गये हैं और वे इन सब बातों की जांच करेंगे। जैसे ही उनका प्रतिवेदन मिलता है हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या आप केवल विभागीय प्रतिवेदनों पर ही निर्भर करेंगे। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए तुरन्त ही एक जांच आयोग नियुक्त क्यों नहीं किया जाता।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** औपचारिक रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जान और माल की पूर्णतया क्षति हुई है। मेरा विचार है कि इसके आदेश दिये जायेंगे।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : मानसून के मौसम में बम्बई पर विमान उतारना बहुत ही खतरनाक है। इसलिये मैं मंत्रालय से कहूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या बम्बई के निकट एक नया हवाई अड्डा बनाया जा सकता है।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** (परभणी) : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि बम्बई के सन्ताक्रुज हवाई अड्डे पर जेट विमानों के उतरने तथा वहां से जाने के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और कि सभी बाधाओं को हटा दिया गया है।

**श्री चे० मु० पुनाचा** : इस हवाई अड्डे पर न केवल ही बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमान भी आते जाते हैं। इसलिए इस बारे में सभी का ध्यान है। समय-समय पर विशेषज्ञ सुविधाओं तथा अन्य आधुनिक उपकरणों का निरीक्षण करते रहते हैं और तभी जेट विमानों को आने जाने की अनुमति दी जाती है। फिर भी हम इस मामले में और ध्यान देंगे और विशेषज्ञों से परामर्श लेने का यत्न करेंगे।

**श्री नम्बियार :** इस बात को देखते हुये कि दो कैरेवेल विमान की क्षति हो गई है क्या मद्रास, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के बीच इन विमानों की सेवा जारी रखी जायेगी अथवा इसमें कोई गम्भीर गड़बड़ होगी।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** कैरेवेल विमानों की सेवा में कुछ परिवर्तन करना होगा परन्तु हम जनता की सुविधा को ध्यान में रखेंगे और इसके लिये वालकाउंट विमानों को लगाया जा सकता है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) ऐसा बताया गया है कि सारे दिन की तलाश के बाद केवल तीन शव मिले हैं । इस बात को देखते हुए मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि मौसम बहुत खराब नहीं था ।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** यह घटनास्थल पर पहुंचने में विलम्ब के कारण है ।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : I would like to know the nature of assistance immediately given to the families of dead persons by Government .

**श्री चे० मु० पुनाचा :** जैसे ही नियमों के अन्तर्गत निहित औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं उनके परिवारों को प्रतिकर तथा नियमों के अन्तर्गत बताई गई दूसरी चीजें दी जायेंगी ।

---

## तारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर में शुद्धि
## CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 361

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन):** 10 अगस्त, 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 361 के सम्बन्ध में श्रीमती सावित्री निगम के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि इनको कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को दे दिया गया था जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं तथा जिनके ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र आदि भी हैं । परन्तु ठीक स्थिति इस प्रकार है कि विजनान मन्दिरों को चुने हुये ग्रामीण संस्थाओं को देने पर विचार किया गया था— परन्तु यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

---

## सदस्य द्वारा निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत वक्तव्य के बारे में तथा दास आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर में शुद्धि

## RE : STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND CORRECTION OF ANSWERS TO STARRED QUESTION NO. 634 RE : DAS COMMISSION REPORT

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : On Friday or Saturday a matter regarding smuggling of gold worth 12 lakhs of rupees was raised but it has been suppressed. You please allow me because it is a very serious matter.

**Mr. Speaker :** Only that matter can be raised which is there in the Order Paper.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The High Court of Rajasthan has already given its verdict regarding the person who is responsible for the smuggling of gold worth lakh of rupees.

**Mr. Speaker :** You cannot raise the matter like this.

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात स्पष्ट है कि दास आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्न के बारे में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया था उसमें कुछ गलती थी अन्यथा आप इसको कार्य सूची पर लाने की अमुमति नहीं देते। मंत्री महोदय इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं......

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैं श्री हाथी की ओर से 24 अगस्त, 1966 को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 634 से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-7026/66]

---

## संसद् कार्य मंत्री के भाषण के बारे में सदस्य द्वारा नियम 357 के अन्तर्गत। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

## PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER UNDER RULE 357 RE: REFERENCE TO SPEECH OF THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : I regret that I did not quote the Hon. Minister fully. The reason is that I tried to get a copy of the original speech of the Hon. Minister from library. But I could not get it from the library as it was not placed on the Table.

The sentences which I quoted were then taken from the report of the Privilege Committee. I never knew that quotations in the speeches of committee members are not given in full. Had I been aware of this fact I would not have quoted those sentences.

**संसद कार्य तथा संचार मंत्री ( श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं बंगलौर में हुये सचेतकों के सम्मेलन में सभापति के नाते दिये गये अपने भाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-7027/66]।

---

## सदस्यों का निरोध

## ( श्री दशरथ देब तथा श्री बीरेन दत्त )

## DETENTION OF MEMBERS

**Shri Dasaratha Deb and Shri Biren Dutta**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सदर, अगरतला से प्राप्त दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के तारों के बारे में सभा को सूचित करता हूं जिनमें बताया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख के साथ पठित धारा 147/149/364 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये लोक सभा के सदस्यों सर्वश्री दशरथ देब और बीरेन दत्त को 12 सितम्बर, 1966 तक के लिये अगरतला केन्द्रीय जेल में निरुद्ध किया गया है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : इसका अर्थ यह है कि भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत जो आरोप लगाये थे वह हटा लिये गये हैं । मैं नहीं जानती कि ठीक स्थिति क्या है । इन लोगों को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । इस सभा में प्रश्न उठाया गया था कि यदि यह दाण्डिक अपराध है तो ऐसे अपराध लगाये जाने चाहिये थे । वहां पर स्थिति क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी हो तो वह दे सकते हैं ।

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है उनको भारत रक्षा नियमों तथा उन सभी धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था जिनका अभी आपने उल्लेख किया है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसका अर्थ यह हुआ कि आपको गलत सूचना दी गई थी ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात का पता करूंगा कि क्या उनको पहले इन सभी धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : तार से मालूम होता था कि श्री दशरथ देब तथा श्री बीरेन दत्त को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया था । इस सम्बन्ध में श्री विद्याचरण शुक्ल से विशेष रूप से यह पूछा गया था कि क्या वह पुलिस प्रशासन के प्रतिवेदन को आधार बना रहे थे या उनके पास अपनी कोई खबर थी । मेरा अनुरोध है कि इस मामले की पूरी छानबीन की जाये ।

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : जब पहले यह मामला सभा के सामने रखा गया था तो बताया गया था कि इन सदस्यों को भारतीय रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया है । इस पर विपक्षी दलों ने काफी आपत्ति की थी । उस समय भारतीय दण्ड संहिता की उन धाराओं का हवाला नहीं दिया गया था जिनके अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया था । परन्तु अब मंत्री महोदय बता रहे हैं कि उन्हें इन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । यदि उन्हें अन्य धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था तो सभा को बताया जाए कि क्या अन्य अपराध पहले ही लगाये गये थे अथवा इस सभा में कार्यवाही के बाद लागू किये गये हैं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : अध्यक्ष महोदय को भेजे गये प्रतिवेदन के अनुसार सदस्यों को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया था । इसके पश्चात मंत्री महोदय ने कुछ अन्य बातें बताईं और हमने विरोध प्रकट किया कि भारतीय प्रतिरक्षा नियमों का गलत प्रयोग किया गया है । अब मंत्री महोदय बताते हैं कि इन आरोपों के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्य आरोप भी लगाये गये हैं । क्या यह आरोप भी उसी समय लगाये गये थे या बाद में लगाये गये हैं ? संसद में चर्चा के पश्चात संसद-सदस्यों के विरुद्ध नये आरोप लगाये जाते हैं । भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन संसद-सदस्यों को पकड़ा जाता है और बाद में कुछ आपराधिक आरोप उनके विरुद्ध लगागे जाते हैं । मंत्री महोदय जो कुछ बता रहे हैं वह

सम्बद्ध अधिकारी द्वारा भेजे गये अधिकारी प्रतिवेदन से मेल नहीं खाती है। अधिकारी गलत प्रतिवेदन कभी नहीं भेजेंगे, इसलिए मंत्री महोदय जो कुछ बता रहे हैं वह ठीक नहीं है।

**श्री बड़े** (खारगोन) : यह संसद-सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है, किसी दल के सदस्यों का प्रश्न नहीं है। क्या पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट ने सूचना दी है कि इन धाराओं के अन्तर्गत अपराध लगाये थे अथवा नहीं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस सभा में मामले पर चर्चा हो जाने के पश्चात सदस्यों पर आरोप लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सदस्यों पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध लगाये गये थे जबकि उन्हें गिरफ्तार किया गया। त्रिपुरा सरकार से मिले संदेश में यह भी बताया गया था कि इन सदस्यों को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों की इस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि सभा में चर्चा होने के पश्चात आरोप लगाये गये थे।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जहां तक मुझे स्मरण है, उस समय केवल भारतीय प्रतिरक्षा नियमों का उल्लेख किया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है, अभिलेख का मामला है। उसे देख कर इन अन्य धाराओं के उल्लेख के बारे में हम जान सकते हैं। अभिलेख के अनुसार लोक-सभा के सदस्य, श्री वीरेन दत्त को 1962 के भारतीय प्रतिरक्षा नियम 41 के उपनियम 5 के अन्तर्गत कोतावली पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जब सदस्यों पर इन धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाये गये तो अधिकारियों का कर्तव्य था कि इसकी सूचना मेरे पास भी भेजी जाए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं पता लगाऊंगा कि आप को भेजे गये प्रतिवेदन में इन धाराओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया और मैं प्रतिवेदन आपके पास भेजूंगा।

**Shri Priya Gupta** (Katihar) : The members were detained under Defence of India Rules. Now the charges of Criminal Procedure Code that have been levelled against them by the Government are the same which were mentioned by Hon. Members. At that time Government was silent about these sections of the Criminal Procedure Code.

**श्री हरि विष्णु कामत** : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सदस्य को भारतीय रक्षा नियमों तथा अन्य अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। ऐसी अवस्था में, नियमों के अनुसार, सम्बद्ध अधिकारी का कर्तव्य है कि वह इस बात की सूचना तुरन्त अध्यक्ष महोदय को दे तथा गिरफ्तारी आदि के कारण बताये। ऐसी अवस्था में इसका दोष सम्बद्ध कार्यकारी अधिकारी पर आता है।

**श्री कपूर सिंह** : मंत्री महोदय को भेजे गये प्रतिवेदन में जो कुछ भी उल्लिखित है, परन्तु वास्तविकता यह है कि आपको गलत प्रतिवेदन भेजा गया है और इस प्रकार विशेषाधिकार को भंग किया गया है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि आपको भेजे गये पहले संदेश में इन धाराओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया और प्रतिवेदन आप को भेजूंगा ।

**श्री जी० भ० कृपालानी** (अमरोहा) : इन सदस्यों पर पहले भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाया गया था और बाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है जिससे अधिक कड़ा दण्ड मिल सकता है । इसके अन्तर्गत आजीवन कारावास का दण्ड भी मिल सकता है । यह केवल प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है, यह विषय की उदारता का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय का यह भी कर्तव्य है कि वह देखें कि सदस्यों के साथ न्याय किया जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि किसी पर एक आरोप लगाया जाता है और बाद में जांच अधिकारी भिन्न आरोप लगाते हैं तो उन्हें कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है । यदि वह कोई गलती करते हैं तो उच्च अधिकारी अथवा उच्च न्यायालय उन्हें दण्ड देता है । अधिकारियों का कर्तव्य था कि हमें ठीक सूचना दें । हमें ठीक सूचना नहीं दी गई तो इसके कारण बताने के लिए मंत्री महोदय से कह दिया गया है । मंत्री महोदय सूचना प्राप्त करेंगे ।

---

## दिल्ली पंचायत समितियां तथा न्याय पंचायतें विधेयक

## DELHI PANCHAYAT SAMITIS AND NYAYA PANCHAYATS BILL

**गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : श्री नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में पंचायत समितियों और न्याय पंचायतों के गठन और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 और दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 में कतिपय संशोधन करने तथा उसके प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में पंचायत समितियों और न्याय पंचायतों के गठन और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 और दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 में कतिपय संशोधन करने तथा उसके प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थाप्ति करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) विधेयक—जारी

## RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) BILL—contd.

**श्री राने** (बुलडाना) : मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में बताया था कि दावे का बिल

जो कि 1953-54 में 290 लाख था बढ़ कर 1962-63 में 420 लाख हो गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

मेरा विचार है कि रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने तथा माल डिब्बों की चोरी से काफी हानि हुई है। यह दुःख की बात है कि चोरी तथा रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने के अपराध, रेलवे सुरक्षा दल के बढ़ने के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि दल को अधिकार कम दिये गये हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे रेलवे सुरक्षा दल को आवश्यक अधिकार मिल जायेंगे। मेरे विचार से वर्तमान उपाय बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा मैसूर में रेलवे सम्पत्ति को दिन दहाड़े नष्ट किया गया है और रेलवे पटरियां हटाई गई हैं। अन्य देशों में ऐसी कार्यवाहियां करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का विस्तृत अध्ययन किया जाए। यदि रेलवे अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ हैं तो एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इस बढ़ते हुए अपराध की समस्या का विस्तार से अध्ययन करे तथा उसे रोकने का रास्ता बताये।

इन अपराधों में बढ़ोत्तरी के कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रेलवे अधिकारी रेलवे अधिनियम के वर्तमान दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में एक लड़के को चलती गाड़ी पर पत्थर फेंकने के कारण पकड़ लिया गया था और उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में भेज दिया गया था। आजकल भारी अपराध किये जा रहे हैं परन्तु हम कोई कार्यवाही नहीं करते। मुझे बताया गया है कि कुछ अपराध तो रेलवे कर्माचरियों की सांठ-गांठ तथा परोक्ष रूप से उसमें भाग लेने के कारण हो रहे हैं। यदि इसकी जांच पड़ताल की गई तो कुछ रोकथाम होगी। सारे भारत में ऐसे लोगों के गिरोह बन गये हैं जो रेलवे सम्पत्ति की चोरी करते हैं। पुलिस को इस बात का पता है। इन गिरोहों द्वारा चोरी की गई सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले लोग भी हैं परन्तु उनका पता नहीं चला है। उन्हें या तो एक योग्य गुप्तचर सेवा रखनी चाहिए अथवा यदि कोई पहले से सेवा मौजूद है तो उसे मजबूत किया जाए।

**Shri Sarjoo Pandey** (Rasra): This Bill has been brought before the House to give powers to the Railway Protection Force so that they can check those who steal and destroy railway property. If they are given more powers that would tentamount to intensification of corruption in the country. The present measure is adequate to deal with the destroyers of railway property. Therefore I do not understand the necessity of this Bill.

The offences of destruction of railway property are mostly taking place on account of the Connivance and indirect participation of some railway servants. In fact, persons of Railway Protection Force are involved in most of the cases of theft: If the Government is really bent upon checking these offences, they should find the root cause of the problem and deal with it.

**Shri Vishwa Nath Pandey** (Salempur): Until and unless sufficient powers are given to the R. P. F. to deal with the thieves and destroyers of railway property, corruption and these other activities of theft and destruction cannot be stopped. Therefore R. P. F. should

be given sufficient powers so that they can prevent theft of railway property. The Hon. Minister has said that the claims bill which was 29 million in 1953-54 rose to 42 million in 1962-63 due to these losses. Loss to this magnitude can be saved only if R. P. F. is given more powers. This Bill has been brought with this objective. The suspicion that the powers will be misused is baseless. Railway is the main means of transportation. This bill will inculcate the necessary confidence in the minds of the people about the R. P. F. With these words, I support the Bill moved by Hon. Minister.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : The powers that are being given to R. P. F. will create one more means of corruption in the Railway Department. Railway employees are mostly responsible for the destruction of railway property. Certain material is stolen by railway staff and afterwards fire is set by them with a view to throw dust into the eyes of the authorities. The authorities concerned do not investigate into the matter and rely on false reports and it is a pity that in spite of all this more powers are being given to R.P.F. This will terribly add to the existing speed of corruption. People who indulge in corruption, they have enormously added to their wealth. Many a tea-venders have become millionaires.

I am of the opinion that if such powers are given to R. P. F. the situation will be going from bad to worse. Government should devise some other means to protect the goods of the people.

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : इस बात को देखते हुए कि चोरी और अन्य अपराध काफी बढ़ गये हैं और रेलवे सम्पत्ति की काफी हानि हो रही है, रेलवे पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां देना नितान्त आवश्यक है। परन्तु विधेयक में कुछ खण्डों के बारे में मुझे मिथ्याबोध है। खण्ड 5 में यह व्यवस्था की गई है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना वारण्ट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अगले खण्ड से न केवल उच्च अधिकारियों को अपितु बल के एक सदस्य को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति मिलेगी। ये अन्तर्विरोधी उपबन्ध हैं।

इस बात का स्पष्टीकरण किया जाए कि क्या खण्ड 14 से दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्राप्त पुलिस की तथा अन्य अधिकारियों की वर्तमान शक्तियां छिन जायेंगी। यदि वे शक्तियां छिन जाती हैं तो निश्चय ही उन लोगों की गिरफ्तारी, निरोध तथा अभियोजन में कमी हो जायेगी जो ऐसे अपराधों को करते हैं। इस पहलू पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध किसी अपराध में साथ देता है उसे दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात पर प्रतिबन्ध क्यों रखा जाये कि केवल किसी भूमि अथवा इमारत में रहने वाला अथवा उसके मालिक या उसके एजेंट को दण्ड दिया जायेगा, इस उपबन्ध को इस रूप में क्यों रखा गया है? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस खण्ड के आशय का स्पष्टीकरण करें और इस बात का भी स्पष्टीकरण करें कि क्या रेलवे सुरक्षा दल को यह एक अतिरिक्त शक्ति दी गई है अथवा पुलिस अधिकारियों की वर्तमान शक्तियों को छीनकर रेलवे सुरक्षा दल को एकमात्र शक्ति प्रदान की गई है।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Government have already enough powers to protect the railway property. If they are not able to protect the railway property with the existing powers, it will not be possible for them to do so even with the additional powers. Railway Protection Force will harass the people unduly with the unlimited powers being given to them. I think this additional and vast power which is being given to this Force which is not honest to the department itself, is liable to be misused.

In a democracy, the Minister is answerable for the failures of his Ministry. The Railway Minister is to be held responsible for the railway accidents. But the question of resignation apart, the Railway Minister is not prepared even to admit his failures.

I will, therfore request the House not give any additional powers to this Force as they have already enough powers to protect the railway property.

With these words, I oppose the Bill.

**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं । रेलवे में बड़े पैमाने पर हो रही चोरियों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक अत्यावश्यक तथा समयानुकूल है । रेलवे डिब्बों में तो नट, बोल्ट तथा पुर्जे भी लापता मिलते हैं, ऐसी चोरियां राष्ट्रीय कलंक हैं और एक सभ्य राष्ट्र के शान के खिलाफ हैं ।

रेलवे पर सामान का यातायात अधिक बढ़ जाने से चोरियां भी अधिक बढ़ रही हैं । दावे के बिलों में वृद्धि इसका प्रमाण है । दावे के बिलों की राशि 1953-54 में 2 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 1963-64 में 4 करोड़ 20 लाख रुपये हो गई थी ।

भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्ष 1961 में जो संशोधन किया गया उसके कारण रेलवे पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाने के कारण रेलवे को होने वाली भारी हानि को रोकने तथा दावे के बिलों की संख्या में कमी करने के लिये प्रभावकारी पग उठाने आवश्यक हैं ।

रेलवे स्टोर्स (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 तो केवल उस रेलवे सम्पत्ति पर लागू होता है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया हो और इस अधिनियम का सम्बन्ध जनता के उस माल से सम्बन्धित अपराधों से नहीं है जो रेलवे को यातायात के लिए सौंपा गया हो । इसके कारण रेलवे सुरक्षा दल को रेलवे सम्पत्ति की चोरी से सम्बन्धित मामलों की प्रभावकारी रूप से जांच करने में बड़ी अड़चन पैदा होती है ।

राज्य पुलिस का क्षेत्राधिकार तो केवल राज्य-सीमा तक ही सीमित है । इसलिए राज्य पुलिस के लिए रेलवे सम्पत्ति की चोरियों की पूरी-पूरी जांच पड़ताल करना बड़ा कठिन है । रेलवे सुरक्षा दल को जांच करने तथा मुकदमा चलाने के पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हैं । इस समय जांच करने तथा मुकदमा चलाने का कार्य तो केवल राज्य पुलिस ही करती है । अतः यह व्यापक विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया है कि उस सामान के अवैध कब्जे को भी शामिल कर दिया जाये जो लोगों ने रेलवे को यातायात के लिये सौंपा हो और दूसरा यह कि रेलवे सुरक्षा दल को रेलवे सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराधों की जांच करने तथा उनके बारे में मुकदमा चलाने के अधिकार देने के लिए है।

इस सम्बन्ध में राज्य पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल दोनों का ही क्षेत्राधिकार का होना एक गंभीर बाधा है। इसलिए रेलवे सुरक्षा दल को रेलवे सम्पत्ति की चोरियों से सम्बन्धित मामलों की पूरी-पूरी जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए इस दल को पूरी पूरी शक्तियों का दिया जाना जरूरी है। रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने वाले अपराधियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक में अथवा बाद वाले संशोधनकारी विधेयक में ऐसे लोगों को भयोत्पादक दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो सामूहिक रूप से हिंसा करें अथवा रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करें।

विधेयक के खण्ड 3 में रेलवे सम्पत्ति की चोरी अथवा उस पर अवैध रूप से कब्जा करने पर दण्ड देने की व्यवस्था है। खण्ड 4 में उन लोगों को दण्ड देने की व्यवस्था है जो रेलवे सम्पत्ति की चोरी में सांठगांठ करते हैं।

धारा 6 के द्वारा रेलवे सुरक्षा दल को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने का अपराधी हो अथवा जिस पर इस प्रकार की चोरी का सन्देह हो, उसे वारन्ट के बिना वह गिरफ्तार कर सकती है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रेलवे अधिकारी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। धारा 10 के अन्तर्गत किसी सन्देहास्पद व्यक्ति के घर में प्रवेश की शक्ति का अधिकारियों द्वारा कभी-कभी दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इसलिए इसकी वजह से बेगुनाह लोगों को रेलवे अधिकारियों द्वारा तंग नहीं किया जाना चाहिए।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : 10 वर्ष पहले वर्ष 1956 में इस प्रस्ताव को रखा गया था, रेलवे मंत्रालय के विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास उस समय इस कारण समयानुकूल सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकारें इस पग का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुईं।

प्रस्तुत विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य पुलिस का क्षेत्राधिकार रेलवे पर भी लागू होगा। इसलिए रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी को विधेयक के खण्ड 8 द्वारा दी जाने वाली शक्तियां तभी दी जा सकती हैं जबकि राज्य सूची में इस आशय का संशोधन किया जाय ताकि केन्द्र का क्षेत्राधिकार पुलिस पर भी साथ-साथ हो, और यह केवल तभी हो सकता है जबकि सम्बन्धित राज्य इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दें, तथा संविधान में संशोधन किया जाय।

भिन्न-भिन्न रेलवे के लिए भिन्न-भिन्न मुख्य सुरक्षा अधिकारी होने चाहिए। चूंकि प्रत्येक रेलवे दो अथवा अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए मूल प्रश्न यह है कि वह किसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयेगा। दूसरे, इस विधेयक के अनुसार उस क्षेत्र के नियमित पुलिस अधिकारियों को जिसमें जी० आर० पी० शामिल है, अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करने से वंचित किया जा रहा है।

इसके पश्चात्, प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 3 में प्रथम तथा द्वितीय अपराध का उल्लेख है। क्या यह जानने के लिए कि किस व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है और किस व्यक्ति ने दूसरी बार, रेलवे अपराधियों की एक सूची रखेगी ?

खण्ड 3 (ख) में उल्लिखित अपराध बहुत निर्धारित किया गया है। अपराध की गम्भीरता की तुलना में वह बहुत ज्यादा है। भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित दण्ड से वह अधिक नहीं होना चाहिए।

रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन के कारण रेलवे मंत्रालय ने उनको यह वचन दिया था कि जो रेलवे सुरक्षा दल में रहना नहीं चाहते उन्हें रेलवे के चालू लाइन निर्माण कार्यों पर रख लिया जायेगा किन्तु यह वचन पूरा नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से पुराने लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा दल में रहना पड़ा है हलांकि उन्होंने इस दल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अब सरकार उन पर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगा रही है।

रेलवे सुरक्षा दल आरम्भ में रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अब उसमें एक अलग पदालि है जिसे गुप्तचर प्रभाग कहते हैं जो रेलवे सुरक्षा दल के अन्दर रेलवे कर्मचारियों की मजदूर संघ विषयक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ रेलवे कर्मचारियों को जो मजदूर संघ की गतिविधियों में भाग लेते हैं, इस बहाने तंग किया जा सकेगा कि उनके कब्जे से कुछ रेलवे सम्पत्ति मिली है।

पहले ही बहुत से कानून प्रवर्तन में हैं जिनके अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही कर सकती है बशर्ते उसका उद्देश्य केवल रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करना हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

**Shri Sinhasan Singh** (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is an increase in the theft of railway property for lack of coordination between the G.R. P. and the R. P. F. So far only the G. R. P. was equipped with the powers of investigation etc. of the theft of the railway property. But under the present Bill, this power is also being given to R. P .F. However, it has not been made clear as to which of these two agencies will be superior or inferior and this duplication of powers will lead to quarrels between these two Forces for the assertion of their superiority. So Government should take legal advice in the matter and clarify the position.

Clause 6 and clause 10 of the Bill are incompatible. Clause 6 gives power to the R. P. F. to arrest without warrant any person suspected of theft of railway property and then make the search while under clause 10 an officer of the R. P. F. can get a search warrant from a Magistrate to search any place or premises suspected of having any stolen property. If any officer of the R. P. F. applies for a search warrant on suspicion, the Magistrate may take some time to satisfy himself. In the meanwhile the property may be removed from that premises.

Clause 5 makes all the offences under the Bill non-cognizable which means no arrest

can be made without a warrant from a Magistrate or superior officer, as the case may be. At the same time, this Force has been equipped with such wide powers as empower them to arrest without warrant any person guilty of theft of railway property or suspected of theft even though the offence is non-cognizable.

It is necessary to make adequate arrangements for the safety of the railway property. It is generally kept scattered which makes the theft easy. Only law cannot stop the thefts. Preventive measures and arrangement are absolutely necessary for the purpose. This can be possible only when the Railway Administration is made efficient. So steps to gear up the Railway administrative machinery are also necessary to be taken.

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत विधेयक का प्रारूप तैयार किया, वह "कौग्निजेबल" तथा "इन्कायर" शब्दों का अर्थ ही नहीं समझता क्योंकि इस विधेयक को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उससे कानूनी उलझनें पैदा होती हैं।

यह एक मानी हुई बात है कि रेलवे में चोरियां बढ़ गई हैं, जांच करने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है और राज्य पुलिस इन मामलों में कोई सहायता नहीं करती है, किन्तु इस समस्या का हल प्रस्तुत विधेयक से नहीं हो सकेगा। सरकार रेलवे सुरक्षा दल को जांच करने, साक्षियों को बुलाने, शपथ लेने तथा साक्ष्य (गवाही) को अभिलिखित करने की शक्ति दे रही है। इस व्यवस्था को न्यायिक कार्यवाही कहा जायेगा। यह बात तो सोची ही नहीं गई कि जो व्यक्ति किसी को दोषी ठहराता है, वह उस मामले की न्यायिक जांच नहीं कर सकता। विधेयक के खण्ड 5 में इस अपराध को 'कौग्निजेबल' नहीं बताया गया है किन्तु इसी सम्बन्ध में खण्ड 6 में यह व्यवस्था है कि एक उच्च अधिकारी के लिए यह अपराध 'कौग्निजेबल' है। यह अनोखी बात है। यदि शक्ति देनी है तो उसका ढंग उचित होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और उसके स्थान पर एक ऐसा व्यापक विधेयक लायें जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में रेलवे पुलिस को केन्द्रीय सरकार के अधीन करने की व्यवस्था की गई हो। एक ऐसा भी उपबन्ध किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अभियोग गृह-कार्य मंत्रालय अथवा रेलवे मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय स्तर पर चलाया जाय। अन्यथा रेलवे सुरक्षा दल और राज्य पुलिस के बीच संघर्ष होगा तथा उनके बीच काफी खींचातानी हुआ करेगी जिससे रेलवे सम्पत्ति का और भी अधिक नुकसान होगा।

प्रस्तुत विधेयक के विभिन्न उपबन्धों में अन्य त्रुटियों के अतिरिक्त विधेयक की मौलिक बातें ही सिद्धान्त रूप में गलत, विधि शास्त्र की दृष्टि से गलत, अवैध तथा असंवैधानिक हैं। अतः इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

**रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यदि अधिनियम को लागू करते समय यह मालूम हो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता और इस अधिनियम में कोई संघर्ष अथवा विरोध है, तो इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक संशोधन करेगी अथवा यदि आवश्यक हुआ तो इसे वापस भी ले लेगी।

जहां तक दो प्रतिवर्ती (पैरैलेल आथोरिटीज) प्राधिकारों का प्रश्न है, ऐसा हम कई मामलों में पहले से करते चले आ रहे हैं जैसा कि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क की अपेक्षा रेलवे का क्षेत्राधिकार कहीं अधिक विस्तृत है। यदि रेलवे सुरक्षा दल को प्रभावशाली बनाना है तो उन्हें जांच तथा पूछताछ करने की शक्तियां देनी ही पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त इस विधेयक का और कोई अभिप्राय नहीं है। इसलिये शक्तियों को दोहरे ढंग से नहीं दिया जा रहा है।

यह कहा गया है कि बहुत सी रेलवे सम्पत्ति नष्ट कर दी जाती है इसके लिये कोई उपाय किया जाना जरूरी है। परन्तु विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है। उसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। किन्तु इसके लिये भी कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे सम्पत्ति को जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, नष्ट करने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

[ **श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
**Shri Shyam Lal Saraf in the Chair** ]

रेलवे सम्पत्ति को इस प्रकार के विनाश से कैसे बचाया जाये, यह प्रश्न काफी समय से हमारे विचाराधीन रहा है। पिछले दो वर्षों में तोड़फोड़ के कारण कई करोड़ रुपये की रेलवे सम्पत्ति नष्ट हो गई है। इस समूचे प्रश्न पर विचार करना होगा और इस चीज को बन्द करने के लिये उचित कानन बनाना होगा। परन्तु इस समय सभा के समक्ष जो विधेयक है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत ही सीमित है अर्थात् साधारण तौर पर होने वाले मामलों की छानबीन तथा जांच की व्यवस्था रेलवे मंत्रालय रेलवे सुरक्षा दल के कार्यकरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्ति समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर काफी समय से विचार करता रहा है। इस समिति में संसद्-सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये। मैं समिति के सदस्यों के नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस बारे में यथासमय घोषणा कर दी जायेगी। मेरे सहयोगी डा० राम सुभग सिंह इस समिति के सभापति होंगे।

जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे इस गलत धारणा के अन्तर्गत पेश किये गये हैं कि यह जी० आर० पी० का स्थान ले रहा है या उसके विरुद्ध जाता है। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिये मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इतने कड़े दण्ड की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये। यह एक साधारण अपराध नहीं है। चलती या खड़ी गाड़ियों में चोरी होती रहती हैं। हां, यदि इस कानून को लागू करने के परिणाम-स्वरूप कोई ज्यादतियां होती हैं तो अवश्य ही उसमें संशोधन आदि किया जा सकता है।

यह भी पूछा गया है कि क्या अपराधियों की कोई सूची रखी जाती है। विभिन्न विधियों में पहले अपराध तथा बाद के अपराधों के लिये भिन्न-भिन्न सजा का उपबन्ध है। इसलिये

ऐसी सूची तो अवश्य ही होनी चाहिये । यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तो वह अवश्य ही उसकी सजा पायेगा ।

मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

**श्री प्रिय गुप्त :** विधेयक प्रस्तुत करते समय यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को दण्ड देना है जिनके पास रेलवे की सम्पत्ति पकड़ी जाय । परन्तु मंत्री महोदय ने अपनी सफाई में रेलवे सम्पत्ति के विनाश आदि जैसे शब्द इस्तेमाल किये हैं । यदि कोई व्यक्ति रेलवे सम्पत्ति को नष्ट कर देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसे अपने कब्जे में कर लेता है । उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग करके इस विधेयक के प्रति सभा की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिशि की है । वे सही सही तर्क दिये बिना ही यह विधेयक पास कराना चाहते हैं ।

**श्री नम्बियार :** मेरा व्यवस्था प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा है कि यदि माननीय सदस्य दूसरी बार अपराध करते हैं तो उसका लेखा जोखा रखा जायेगा और उचित सजा दी जायेगी । यह एक आक्षेप ही नहीं है अपितु विधेयक के विरोध में बोलने वाले सदस्य के लिये यह एक धमकी भी है । इसे वापिस लिया जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री इसे वापिस नहीं लेते हैं तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

**सभापति महोदय :** श्री प्रिय गुप्त का तो व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था । जहां तक श्री नम्बियार की आपत्ति का सम्बन्ध है ; मैंने भी माननीय मंत्री को बोलते सुना है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री ने ऐसा उस संदर्भ में नहीं कहा था जैसा कि माननीय सदस्य ने अब कहा है । जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था वह बिल्कुल नियमानुकूल था । अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता ।

**श्री बड़े :** माननीय मंत्री ने अपने भाषण में एक बात को स्पष्ट नहीं किया है ।

खण्ड 5 में अपराध हस्तक्षेप्य अपराध नहीं ठहराया गया है जब कि खण्ड 6 में उसे हस्तक्षेप्य अपराध करार दिया गया है जिसका अर्थ है कि कोई उच्च अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है । परन्तु ऐसे अपराधों के बारे में, जो हस्तक्षेप्य अपराध नहीं हैं, राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है । इन दोनों उपबन्धों में कोई तालमेल नहीं है । इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखेंगे और खण्डों पर चर्चा के समय इस बात को स्पष्ट करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे सम्पत्ति के विधि विरुद्ध कब्जे के सम्बन्ध में विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**सभापति महोदय :** अब खण्डों पर चर्चा होगी ।

**खण्ड 2—( परिभाषाएं )**

**श्री नम्बियार** . मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने भी कुछ संशोधन दिये हैं।

**सभापति महोदय :** श्री उ० मू० त्रिवेदी ने जो संशोधन दिये हैं उनकी नियम 79 (1) के अनुसार उचित समय के अन्दर सूचना नहीं दी गई है। इसलिये, वे संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैंने उनकी सूचना यहां पर बहस शुरू होने से पहले सुबह ही दे दी थी और इसलिये मुझे उन्हें प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। आप ऐसा कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : मुझे सूचित किया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इनकी अनुमति अध्यक्ष महोदय को नहीं अपितु आपको देनी है।

**सभापति महोदय :** मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है।

श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सभा के समक्ष विचारार्थ पेश है।

**श्री नम्बियार :** शब्द "रेलवे सम्पत्ति" की उचित परिभाषा नहीं की गई है। इसकी स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिये। इस परिभाषा के अनुसार "रेलवे सम्पत्ति" ऐसी कोई भी वस्तु समझी जा सकती है जिसे रेलवे कर्मचारी दिन-प्रति-दिन के कार्य में औजार के रूप में प्रयोग में लाते हैं। "रेलवे सम्पत्ति" की परिभाषा से उन औजारों तथा फालतू पुर्जों को, जिनका विशेष महत्व नहीं है, तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिन-प्रति-दिन उपयोग किये जाने वाले अन्य औजारों को निकाल देना चाहिये।

**श्री स० का० पाटिल** : मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया**

**Amendment No. 1 was put to Vote**

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :**

**The Lok Sabha divided.**

**पक्ष में 15 ; विपक्ष में 97**

**Ayes 15 ; Noes 97**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment was negatived**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 2 was added to the Bill**

**खण्ड 3—( रेलवे सम्पत्ति के अवैध कब्जे के लिये दण्ड )**

**श्री नम्बियार :** मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3 तथा 4 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 3 के अन्तर्गत यह अपराधी की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सिद्ध करे कि उसने रेलवे सम्पत्ति वैध रूप से प्राप्त की। देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत यह अभियोक्ता पक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह यह सिद्ध करे कि उसने सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिये खण्ड 3 से "जब तक वह यह सिद्ध न करे कि रेलवे सम्पत्ति उसके कब्जे में वैध रूप से आई", शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान् मैं भी इस संशोधन पर बोलना चाहता हूं।

यह सिद्धांत, कि अपराधी के ऊपर यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि उसने रेलवे सम्पत्ति विधिवत रूप से प्राप्त की, वहां तो चल सकता है जहां रेलवे सम्पत्ति की पहचान हो सकती हो। परन्तु जहां रेलवे सम्पत्ति में वे चीजें भी शामिल हों जिन्हें रेलवे को ढोना है, तो यह सिद्ध करना कठिन होगा कि किसी व्यक्ति के पास वह विधिवत् रूप से आई।

श्री नम्बियार के इस संशोधन पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि यह कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वर्तमान उपबन्ध से अभूतपूर्व कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। क्योंकि इस अधिनियम में रेलवे सम्पत्ति की परिभाषा ऐसी नहीं है जिससे कि रेलवे सम्पत्ति पर कोई विशेष निशान होने के कारण उसकी पहचान की जा सके।

**श्री नम्बियार :** मैं अपने अन्य संशोधनों के बारे में भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

खण्ड 3 (क) में प्रथम अपराध के लिये पांच वर्ष की कैद का उपबन्ध है। पहले अपराध के लिये एक वर्ष की ही सजा काफी है। पहले तथा दूसरे अपराध की सजा में कोई अन्तर अवश्य होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि दूसरे अपराध के लिये पांच वर्ष की बजाय दो वर्ष की सजा का उपबन्ध कर दिया जाये। मुकदमें का निर्णय करने के लिये जज को कोई निदेश नहीं दिया जाना चाहिये। निर्णय करने में जज को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : दंड प्रक्रिया संहिता में एक ऐसा उपबन्ध है कि प्रथम अपराधी को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता यदि वह एक विशेष आयु का है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी एक आयु विशेष के तथा एक विशेष आयु से कम आयु के प्रथम अपराधी को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता। हमारे देश की सामान्य विधि तथा विधि के निर्वचन का सिद्धांत यह है कि कोई विशेष विधि सामान्य विधि के विरुद्ध नहीं होती। सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 अथवा 380 के अन्तर्गत आते हैं। अतः

बिना किन्हीं उचित कारणों के एक ही प्रकार के अपराधों में विभेद करना तथा प्रथम तथा अन्य अपराधों के लिये पांच वर्ष की सजा की व्यवस्था करना अवैध है । ऐसा अवैध उपबन्ध नहीं होना चाहिये । इसलिये इस उपखण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये तथा एक सामान्य उपबन्ध रखा जाना चाहिये जिसमें इतनी अधिक सजा की व्यवस्था न हो ।

**श्री दी० चं० शर्मा :** यह विधेयक समाज विरोधी अपराधों को रोकने के लिये लाया गया है । यदि श्री नम्बियार के तर्क को स्वीकार कर लिया जाये तो इस विधेयक का आधार ही खत्म हो जायेगा । इसलिये कड़े दण्ड की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है । जज को भी कोई हिदायत नहीं दी जा रही है । केवल स्वविवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है ।

**श्री स० का० पाटिल** : पांच वर्ष के कारावास की सजा तो अधिकतम सजा है अर्थात् कोई जज इससे अधिक काल के लिये सजा नहीं दे सकता । प्रथम अपराध के लिये न्यूनतम सजा 1 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना है । दूसरी बार के अपराध के लिए न्यूनतम सजा 2 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना है । अत: पांच वर्ष के अधिकतम कारावास का जो उपबन्ध किया गया है, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिये । यह तो अधिकतम सीमा है ।

जब रेलवे किसी व्यक्ति पर अभियोग लगायेगी तो रेलवे को यह सिद्ध करना होगा कि वह रेलवे सम्पत्ति है । सिद्ध करने का भार रेलवे पर है । इसलिये इस उपबन्ध में कोई अनुचित बात नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि पहले हमें इस विधान को लागू करके देखने दीजिये और यदि बाद में इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जायेगी तो मैं स्वयं वह संशोधन विधेयक सभा के सामने पेश करूंगा । मैं इस समय इन संशोधनों को स्वीकार नही कर सकता ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3 और 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।**

**Amendment Nos. 2, 3 and 4 were put and negatived**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 3 was added to the Bill**

**खण्ड 4—( अपराध की उपेक्षा करने के लिये सजा )**

**सभापति महोदय :** इस खण्ड पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

**श्री नम्बियार :** मैंने इस खण्ड पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये हैं परन्तु मैं इस खण्ड के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। इस खण्ड की भाषा बहुत ही भ्रामक तथा गलत है। "भूमि अथवा भूमि का कोई स्वामी अथवा कब्जाधारी" ही नहीं अपितु "ऐसे स्वामी अथवा कब्जाधारी का कोई एजेन्ट" भी दण्डनीय होगा। इस उपबन्ध के अन्तर्गत इन सभी व्यक्तियों को लपेट लिया गया है। उनकी तलाशी अथवा गिरफ्तारी कोई अधिकारी नहीं अपितु रेलवे सुरक्षा दल का कोई सिपाही कर सकेगा। ऐसा कड़ा उपबन्ध क्यों किया जा रहा है? चोरी को रोकिये तथा चोर को सजा दीजिये। यह बात समझ में आ सकती है परन्तु उसके लिये इतना व्यापक तथा सर्वशक्तिमान कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस खण्ड की भाषा ऐसी है कि इसे न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। माननीय मंत्री को इसमें आवश्यक संशोधन करने चाहिये। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सभा को यह खण्ड ही अस्वीकार कर देना चाहिये।

**श्री बड़े :** मैं श्री नम्बियार द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। कानून सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी होना चाहिये। उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिये। खण्ड चार में "जानबूझ कर उपेक्षा करता है" ("विलफुल्ली कोनाइव्स") शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। इसके लिये तो उन्हें माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि न्यायालयों में अभियोक्ता पक्ष के लिये यह सिद्ध करना बहुत ही कठिन होगा कि किसी व्यक्ति ने "जानबूझ कर उपेक्षा की है।" इससे तो खण्ड 4 के उपबन्ध नाकारा हो जायेंगे।

**श्री हेडा** (निजामाबाद) : हमारे देश में ऐसी हालत है कि बहुत बार लोगों के सामने अपराध होता रहता है और वे चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक हैं।

यह न केवल कानून के प्रवर्त्तन में सहायक होगा बल्कि उन लोगों को भी जो यह सोचते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं। जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है, जब तक कोई व्यक्ति जानबूझकर उपेक्षा नहीं करता, जो सिद्ध करना सरल नहीं है, उसे दण्ड नहीं दिया जायेगा। इसलिये यह खण्ड आवश्यक है।

**श्री उ०मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : खण्ड 4 की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में अवप्रेरणा के लिये पहले ही व्यवस्था है। इस उपबन्ध में ऐसे लोगों को, जो चोरी की गई रेलवे सम्पत्ति इकट्ठी करने का व्यापार करते हैं, बचाने के उद्देश्य से 'विलफुल' शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि कोई स्टेशन मास्टर ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिये सख्त कार्यवाही करता है, तो तुरन्त उस स्टेशन से उसका तबादला कर दिया जाता है। या तो यह शब्द बेकार रखा गया है अथवा जानबूझ कर रखा गया।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं दो बातें रखना चाहता हूं। रेलवे क्षेत्र के निकट कुछ भूमि अथवा इमारतें होती हैं। वहां पर रहने वाले व्यक्ति को स्विच, बैटरी आदि सामान लेकर गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहना पड़ेगा कि क्या लिये जा रहे हो, दिखाओ। दूसरी बात यह

है कि जैसाकि मंत्री महोदय जानते हैं, बैगन अथवा डिब्बे जब वर्कशाप से निकलते हैं, तो उनका सारा सामान बदमाशों के गिरोहों द्वारा निकाल लिया जाता है, जो वे फिर से रेलवे के ठेकेदारों को बेच देते हैं, यदि कोई व्यक्ति मौत के धमकी से लाचार होकर इस बात की उपेक्षा करता है, तो क्या इसे भी जान-बूझकर उपेक्षा समझा जायेगा ? मेरा यह भी विचार है कि कोई विशेष व्यवस्था रहित सर्वव्यापी यह खण्ड कानून की दृष्टि से अच्छा नहीं है ।

**Shri H. C. Soy** (Singhbhum) : At present the Permanent Way Inspector is entrusted with supervision of many other items of work in addition to the supervision of railway stores worth lakhs of rupees. They are called upon to carry out physical verification of a specified percentage of stores within a period of six months, which they are unable to do on account of other duties. The P.W.I. should be relieved of some items of work or one Permanent Way Inspector should be entrusted exclusively with work of supervision and physical verification of stores. I will request the Hon. Minister kindly to consider this aspect though I support the provision in this clause.

**श्री स०का० पाटिल** : श्री त्रिवेदी ने "विलफुली" शब्द के रखे जाने का विरोध किया । ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास रेलवे सम्पत्ति हो लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि यह चोरी की गई सम्पत्ति है । यदि एक ईमानदार है और अनजाने में उसके पास चोरी की गई सम्पत्ति आ जाती है, तो उसे दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 4 was added to the Bill**

**खण्ड 5 (अधिनियम के अन्तर्गत प्रज्ञेय न माने जाने वाले अपराध) ।**

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये सामान्य उपबन्धों से असंगत हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक उपबन्ध है जिसके अनुसार 3 वर्ष की सजा की व्यवस्था वाला अपराध प्रज्ञेय होता है परन्तु यह अपराध 5 वर्ष के कारावास से दंडनीय है फिर भी इसे अप्रज्ञेय रखा गया है । खण्ड 6 से पता चलता है कि रेलवे सुरक्षा दल और सामान्य पुलिस के कान्स्टेबल के बीच भेदभाव किया गया है । खण्ड 5 को निकाल देना चाहिए ।

**श्री बड़े** : यह खण्ड वकीलों के लिये कठिनाई पैदा करता है । इस अपराध को अप्रज्ञेय बनाया गया है। सामान्य पुलिस के कांस्टेबल इसकी ओर घ्यान नहीं दे सकते लेकिन एक उच्च पुलिस अधिकारी (सुपीरियर आफिसर) अथवा रेलवे सुरक्षा दल का सदस्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, जब रेलवे सुरक्षा दल का कांस्टेबल बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह प्रज्ञेय अपराध है । क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तो गिरफ्तारी कर सकने

वाला प्रत्येक अधिकारी अथवा चौकीदार पुलिस अधिकारी कहा जायेगा। यह खण्ड ठीक प्रकार नहीं बनाया गया है। माननीय मंत्री को हमारी कठिनाई दूर करनी चाहिए।

**श्री स० का० पाटिल** : ये तो कानूनी कठिनाइयां हैं। दोनों में अन्तर है, यह तो घटना-स्थल पर अधिकारी को पकड़ने के लिए लागू होता हैं। यह तो रक्षक के लिए हैं। खण्ड 6 में हमने अधिकारी (सुपीरियर आफिसर) भी लिखा है। जब समय हो, तो रक्षक (कांस्टेबल) के अतिरिक्त कोई अन्य कर्मचारी भी गिरफ्तारी कर सकता है। प्रज्ञेय और अप्रज्ञेय के रूप में यही भेद किया गया है।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 5 was added to the Bill**

**खण्ड 6**

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं। खण्ड 6 में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी (सुपीरियर आफिसर) अथवा दल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि उसके इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित होने का सन्देह हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अपराध अपने आप प्रज्ञेय बन गया। खण्ड 5 के अनुसार यह अप्रज्ञेय है। अत: इन दोनों खण्डों में परस्पर विरोध है। इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि कोई अधिकारी (सुपीरियर आफिसर) किसी मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर तथा वारंट लेकर अपराध से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

**श्री बड़े** : खण्ड 6 के अनुसार यह प्रज्ञेय अपराध होगा। सामान्य कानून के अन्तर्गत प्रज्ञेय अपराध के मामले में एक रक्षक (कांस्टेबल) भी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है लेकिन अप्रज्ञेय अपराध के मामले में एक उच्च अधिकारी भी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। लेकिन इस विधेयक में यह बिलकुल भिन्न है। इन शब्दों को परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, संशय की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : खण्ड 6 की अन्तिम पंक्ति में सम्बन्धित (कन्सर्न्ड) शब्द का प्रयोग किया गया है। यह न्यायिक शब्दावली का न तो स्वीकृत अंग है और न ही इसके माने जाने योग्य है। इसके दो सामान्य शब्दकोष-अर्थ हैं, एक तो चोरी का ज्ञान होना है और दूसरे चोरी में सम्बन्ध, उद्देश्य होना है। या तो कोई अन्य बिलकुल ठीक अर्थ वाला शब्द रखना चाहिए अथवा इस खण्ड को निकाल देना चाहिए।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**
**Amendment No. 5 was put and negatived**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।'

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :**
**The Lok Sabha divided**

पक्ष में 102 : विपक्ष में 17
**Ayes : 102 ; Noes : 17**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The motion was adopted.**

**खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।**
**Clause 6 was added to the Bill.**

**खण्ड 7 (गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही)**

**श्री नम्बियार :** मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

खण्ड 7 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी से सम्बन्धित अथवा चोरी के सन्देह में रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलम्ब रेलवे सुरक्षा दल के निकटतम अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। देश के कानून के अनुसार जब कोई अपराध किया जाता है, तो उस अपराधी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश करना चाहिए ताकि उसके विरुद्ध देश के सामान्य कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सके तथा उसे अपनी सफाई रखने तथा बचाव का प्रत्येक अवसर मिल सके जो उसे संविधान के मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत एक नागरिक के रूप में प्राप्त हैं। किसी गैर-कानूनी व्यक्ति के सामने उसे पेश करने से, वह उसे पीट सकता है अथवा जो चाहे कर सकता है।

**श्री बड़े :** मुझे खण्ड 7 पर आपत्ति है। मान लिया जाये कि एक कांस्टेबल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और थाना पास में ही है परन्तु रेलवे सुरक्षा दल का निकटतम अधिकारी बहुत दूर हो, तो क्या कांस्टेबल को अपराधी को पास के थाने के अधिकारी की अपेक्षा दूरस्थ रेलवे सुरक्षा दल अधिकारी के सामने पेश करना होगा ? इस खण्ड में यही व्यवस्था है। यह तो देश में दो सरकारें स्थापित करने वाली बात हुई। यह बहुत आपत्तिजनक है।

**श्री कपूर सिंह :** इस खण्ड में 'बिना विलम्ब' के शब्द न्यायिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं। इसके स्थान पर, 'बिना अनावश्यक विलम्ब के' ठीक होते।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**Amendment No. 6 was put and negatived**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 7 was added to the Bill**

**खण्ड 8**

**श्री नम्बियार :** मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 8 (1) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये अथवा धारा 7 के अन्तर्गत उसके पास भेजे गये व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की जांच वही करेगा । मुझे रेलवे सुरक्षा दल द्वारा जांच किये जाने पर घोर आपत्ति है, इससे कथित अपराधी को कानूनी सहायता नहीं मिलती । रेलवे सुरक्षा दल पुलिस थाने का कार्य किस तरह कर सकता है ? संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं । इस खण्ड से उनका उल्लंघन होता है । इस प्रकार उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है । ऐसे कथित अपराधी के विरुद्ध जांच तथा मुकदमा चलाने का काम निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए । मेरा दूसरा संशोधन है कि उप-खण्ड 2 तथा परन्तुक (क) और (ख) को—सारे को—निकाल देना चाहिए । इसके अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारी को पुलिस अधिकारी के अधिकार दिये गये हैं ताकि वह जांच कर सके तथा मुकदमा चला सके । यह तो संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करना है । यदि ऐसा करना है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा ।

---

## केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतों के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. GRIEVANCES OF C.H.S. DOCTORS

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह प्रश्न मई, 1963 में उठाया गया था और अब सितम्बर, 1966 है । डाक्टरों की पदोन्नति, तबादले, वेतन आदि का प्रश्न जब भी उठाया गया, कोई स्पष्ट और निश्चित उत्तर नहीं दिया गया और इस मामले को टाला जाता रहा है । एक बार यह मामला गृह मंत्री को सौंप दिया गया था, एक अन्य अवसर पर स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर यह मामला मंत्रिमण्डल सचिव, श्री धर्मवीर को सौंप दिया । लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला । इससे पहले कि कोई कार्यवाही की जाती, श्री धर्मवीर का तबादला कर दिया गया । यह और भी दुख की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री परस्पर विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं । डाक्टर लोग देशभक्त और कानून का पालन करने वाले लोग हैं । वे गावों में जाकर काम करने को तैयार हैं, सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं । वे तो केवल दो बातों की गारंटी चाहते हैं । पहली यह कि यदि उन्हे गांवों में भेजा जाता है, तो बारी-बारी से भेजना चाहिए और इसके लिये एक

नियमित नियमावली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे हमेशा ही वहां पड़े रहें। निश्चित अवधि के बाद उन्हें वहां से बुलाकर अन्य जगह काम दिया जाना चाहिए। हम उन्हें, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के नागरिकों में वर्गबद्ध नहीं कर सकते हैं। सभी प्रभुसत्ता सम्पन्न भारतीय गणराज्य के प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी डाक्टर अविवाहित नहीं हैं। उनके बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, अपना परिवार है। वे दो स्थानों पर घर नहीं बसा सकते। वे यह चाहते हैं कि वे अपने परिवार की देखभाल कर सकें, बच्चों को ठीक प्रकार शिक्षा दिला सकें। इस बारे में अभी तक कोई गारंटी नहीं दी गई।

उनकी दूसरी मांग वर्गोन्नति के बारे में है। ये सभी डाक्टर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये गये हैं। उनसे पुनः परीक्षा देने के लिये नहीं कहना चाहिए। प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। यह एक प्रशासनिक गलती है। मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय को इस व्यवसाय से प्रेम है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। उन्हें कठिनाई वाले क्षेत्रों में बिना उचित भत्ता दिये नहीं भेजा जाना चाहिए। ये डाक्टर पिछले 2-3 वर्षों से कठिनाई में हैं और हमें उनकी कठिनाइयों को नहीं बढ़ाना चाहिए बल्कि उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए।

**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : इस समय कितने एम० डी० उपाधि प्राप्त डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में उकता देने वाला दैनिक कार्य कर रहे हैं और क्या यह सच है कि दिल्ली में काम करने वाले डाक्टरों को तबादला हो जाने पर यहां से अधिक वेतन मिलता है ?

**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : क्या यह सच है कि नेफा तथा हिमाचल प्रदेश के लिये अधिक वेतन के पदों के लिये विज्ञापन दिया गया था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को बिना कोई अतिरिक्त भत्ता दिये वहां जाने के लिये कहा जाता है ?

**श्री उमानाथ** (पुद्दकोट्टै) : पदोन्नति के बारे में अभी तक यह नियम रहा है कि पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा हो जाने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने पर जी० डी० एम० ओ०, प्रथम श्रेणी के रूप में डाक्टरों की पदोन्नति की जायेगी।

**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** (चिकबलपुर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया गया है और क्या यह सच है कि सरकार द्वारा घोषित अन्तरिम भत्ता केवल 8 रुपये से 16 रुपये तक है तथा इससे केवल 150 डाक्टरों को लाभ पहुंचेगा ?

**श्री सेझियान** (पैरम्बलूर) : क्या दिल्ली नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों को प्रोत्साहन के रूप में कोई ग्राम्य भत्ता देना है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब उनका तबादला किया जाता है तो उस समय ऐसे स्थानों पर तैनात किये जाने वाले डाक्टरों को ग्राम्य भत्ता

देना संभव और उचित है ताकि उन्हें वहां जाने के लिये आकर्षित किया जा सके तथा उन्हें अन्य डाक्टरों के समान ही सुविधा दी जा सके ?

**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क श्रेणी के मेडिकल आफिसर लोक सेवा आयोग की सहमति से लिये गये हैं तथा जो सेवा के पांच वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें स्वतः ही प्रथम श्रेणी में ले लिया जायेगा, उनको प्रथम श्रेणी में चुनाव के लिये एक अन्य परीक्षा देने के लिये कहने का क्या आधार है जब कि उनकी डाक्टरी जांच हो चुकी है और वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हैं ?

**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : दिल्ली से बाहर सहायक सर्जनों के कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों पर सहायक सर्जन पहिले ही कार्य कर रहे हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या कोई ऐसी समिति बनाने का विचार है जो यह सुनिश्चित करेगी कि जो तबादले किये जायें उनसे डाक्टरों को कम से कम असुविधा हो, उन्हें उचित भत्ता दिया जाय तथा बाहर तबादला होने के बाद उनका वेतन कम न हो ?

**श्री बड़े** (खारगोन) : क्या कोई ऐसे नियम हैं जिनके अधीन डाक्टरों का दिल्ली से मुफस्सिल क्षेत्रों में तबादला किया जा सकता है अथवा डाक्टरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करने के मामले में पक्षपात से काम लिया जाता है ।

**श्री दाजी** : क्या तबादले के बारे में कोई निश्चित नियम बनाये गये हैं तथा 8-9 वर्ष के सेवाकाल के बाद तबादला करने की क्या आवश्यकता है ? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिन डाक्टरों को असुविधाजनक क्षेत्रों में भेजा जायेगा, उन्हें एक सीमित समय के लिये ही भेजा जायेगा और फिर वापस दिल्ली बुला लिया जायेगा ?

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj) : Do other doctors of Central Government enjoy same facilities as are being demanded by C. H. S. doctors and if these demands are fulfilled, how much extra expenditure would have to be borne by Government ?

**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : क्या डाक्टरों को ग्राम भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है ?

**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : तबादले के बारे में नियम बनाने में क्या कठिनाई है ? यदि सरकार नियम नहीं बना सकती, तो डाक्टरों को स्वयं ही नियम क्यों नहीं बना लेने देती ?

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : Why no final decision has been taken so far regarding increase in the emoluments of the doctors ? Has any time limit been fixed after which the doctors transferred outside Delhi may be called back ? Why doctors are being asked to serve the Army when there is no emergency ?

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार पदोन्नति अथवा वेतन के मामले में किसी निश्चित नीति का पालन कर रही है ? तबादले की अवधि अथवा ढंग निश्चित करने में

सरकार के सामने क्या कठिनाई है ताकि किसी प्रकार से किसी को बदले की भावना से तंग न किया जा सके ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या यह सच है कि नये नियमों के बनाने का काम गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों से रुका पड़ा है और इसमें अभी कितना समय और लगेगा ताकि डाक्टरों की प्रथम श्रेणी के आफिसरों के रूप में पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके ?

**डा० चन्द्रभान सिंह** (विलासपुर): क्या सरकार कोई विशेष पद श्रेणी बनाने के बारे में विचार कर रही है ? क्या डाक्टरों के तबादले के बारे में शुरू से ही निश्चित ढंग है ?

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को शुरू में दिल्ली में सेवा के लिए भर्ती किया गया था और यदि अब उन्हें ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, तो उनको कितना अतिरिक्त प्रतिकर अथवा वेतन दिया जा रहा है ।

**श्री तुलशीदास जाधव** (नांधेड़) : गांवों में डाक्टरों की कमी के क्या कारण हैं जब कि डाक्टर अपने निजी चिकित्सालय चला रहे हैं ? सरकार ऐसे नियम क्यों नहीं बनाती ताकि डाक्टर सरकारी सेवाओं में आने के लिए आकर्षित हों ? पिछली हड़ताल के समय डाक्टरों की क्या शिकायतें थीं और उनमें से कितनी दूर की जा चुकी हैं ?

**श्री वारियर** (त्रिचूर) : क्या सरकार ने डाक्टरों की एसोसियेशन द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कोई विचार किया है और क्या विचार करने के बाद सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है ? वे कौन सी बातें हैं जिन पर सरकार अभी विचार करेगी और क्या निकट भविष्य में कोई निर्णय किया जायेगा ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** (डा० सुशीला नायर) : जहां तक **श्री दी० चं० शर्मा** के प्रश्नों का सम्बन्ध है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि हो सकता है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि वे इस मामले की जांच करेंगे परन्तु जब उन्होंने सारी बात पर गौर किया तो उन्होंने यही ठीक समझा कि उन्हें स्वयं इस मामले में जांच करने की आवश्यकता नहीं है और अधिकारीगण इस बारे में जांच करने के लिए सक्षम हैं । प्रधान मन्त्री जी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । सभा के समक्ष दिये गये मेरे वक्तव्य ठीक थे और उनमें विरोधाभास की कोई बात नहीं है ।

1956 में, जब राजकुमारी अमृत कौर मंत्री थीं, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बारे में निर्णय किया गया था । परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण वह उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका । मैंने उस निर्णय को कार्यान्वित करने का निश्चय किया जिसके परिणामस्वरूप कुछ अभ्यावेदन किये गये जिनमें कुछ मांगें रखी गईं । स्वयं एक डाक्टर होने के नाते मैं यह चाहती थी कि डाक्टरों के लिए अच्छी से अच्छी सेवा की शर्तें रखी जांय । यह सब जानते हैं कि डाक्टरों के लिए अच्छी शर्तें स्वीकार कराने के लिए मैंने विभिन्न मंत्रियों को किस प्रकार मनाया है । डाक्टर

स्वयं इस बात को मानते हैं कि पुनरीक्षित शर्तें बहुत अच्छी हैं। राज्यों ने यह शिकायत की है कि डाक्टरों का वेतन बढ़ाकर हम उनके लिए उलझनें पैदा कर रहे हैं।

स्थानान्तरण तथा पदोन्नति के लिए वही नियम हैं जो कि अन्य सेवाओं के लिए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए हम पृथक नियम नहीं बना सकते। जिन डाक्टरों को सेवा की शर्तें पसन्द नहीं हैं वे अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : स्वास्थ्य मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे सारे देश को हानि पहुंचेगी। हमें सरकारी सेवा के लिए अधिक से अधिक डाक्टरों तथा इंजीनियरों की आवश्यकता है।

**सभापति महोदय** : पूछे गये प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य थोड़ा उत्तेजित हैं। अत: मेरा निवेदन है कि मंत्री जी निश्चित भाषा का प्रयोग करें।

**डा० सुशीला नायर** : श्रीमान् मैं यह कह रही हूं कि सेवाओं के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना ही पड़ता है।

मुझे इस कथन पर बहुत आपत्ति है कि जो डाक्टर एम० डी० हैं वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालयों में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। हमने कुछ डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में रहते हुए एम० डी० की परीक्षायें पास करने के लिए अवसर दिये हैं। इसलिए इस बारे में शिकायत की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

जहां तक दूरस्थ स्थानों, जैसे नेपाल, नागालैंड आदि को भेजे जाने का सम्बन्ध है, जिन को वहां भेजा जाता है उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रतिकर मिलता है। उसी प्रकार इन डाक्टरों के लिए मकानों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने उनके लिए बहुत न्यायसंगत शर्तें बनायी हैं। परन्तु सरकार के लिए उनकी दो मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मित्रगण डाक्टरों को समझायेंगे कि वे अपना आन्दोलन समाप्त कर दें और दिल लगाकर काम करें।

**श्री बूटा सिंह** : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। दिल्ली से बाहर सहायक सर्जनों के कितने पद हैं तथा कितने पदों पर सहायक सर्जन काम कर रहे हैं?

**डा० सुशीला नायर** : जो दिल्ली से बाहर हैं, वे भी यहां आना चाहते हैं। मैं भला उनसे यह कैसे कह सकती हूं कि वे बाहर ही रहें। मेरे पास इस समय निश्चित संख्या नहीं है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Why the doctors posted in rural areas want to come back to Delhi?

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है कि क्या एक समिति बनाई जायेगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक तथा एसोसियेशनों के

प्रतिनिधि होंगे और जो इस समस्या को सुलझायेगी। इस समिति को बनाने में क्या आपत्ति है ?

**Mr. Chairman:** So far as the question put by Shri Kachhavaiya is concerned, who would not like to come back to Delhi. It is but natural.

जहां तक श्री बनर्जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई विशिष्ट बात होनी चाहिए जिसके बारे में समिति जांच कर सके। अन्यथा साधारणतया सरकारी विभागों में ऐसा नहीं होता।

अब सभा स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 6 सितम्बर, 1966/15 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 6th September, 1966 / Bhadra 15, 1888 (Saka).**



Tej Kumar Press, Lucknow, 20-2-68 585